
परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)

(संदर्भ कंडिका मध्य प्रदेश की रूपरेखा, 1.6.1, 1.8.2; पृष्ठ 1,13,30)

क	सामान्य आंकड़े	विवरण	आंकड़े
1	क्षेत्र		3,08,245 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	6.03 करोड़
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	7.26 करोड़
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या ¹ (अखिल भारतीय औसत=27.5 %)		38.30 प्रतिशत
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 %)	69.69 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74 %)	70.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर ² (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 47 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		67
7	जन्म के समय जीवित रहने की आशा ³ (अखिल भारतीय औसत=63.5 वर्ष)		58 वर्ष
8	जिनी कोएफिशियेन्ट ⁴		
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय=0.30)	0.27
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय=0.37)	0.39
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू मूल्य पर 2011-12		₹ 315387 करोड़
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक वृद्धि दर प्रति व्यक्ति (2002-03 से 2011-12)	मध्य प्रदेश	12.04 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य ⁵	13.09 प्रतिशत
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (2002-03 से 2011-12)	मध्य प्रदेश	13.77 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य ⁵	14.46 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि दर (2002-03 से 2011-12)	मध्य प्रदेश	16.52 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य ⁵	13.90 प्रतिशत
ख.	वित्तीय आंकड़े		
	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)	
	संयोजित वार्षिक वृद्धि दर	2002-03 से 2010-11	2002-03 से 2011-12
		सामान्य संवर्ग के राज्य ⁵	मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्राप्ति ⁵ के	16.86	18.69
ख.	स्वयं के कर राजस्व के	16.74	17.82
ग.	करेतर राजस्व के	12.84	18.41
घ.	कुल परिव्यय के	14.58	18.29
ङ.	पूंजीगत व्यय के	21.25	15.61
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	15.41	17.51
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	14.00	13.78
ज.	वेतन एवं मजदूरी	13.43	11.59
झ.	पेन्शन के	16.89	16.82

¹ सामान्य आंकड़ों के स्रोत : गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग एवं एन. एस. एस. ओ. डाटा, 61वां चक्र)

² शिशु मृत्यु दर (एस. आर. एस. बुलेटिन, दिसम्बर 2011), वित्तीय आंकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित हैं।

³ जन्म के समय जीवित रहने की आशा (भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मन्त्रालय), आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11

⁴ जिनी कोएफिशियेन्ट (योजना आयोग का अशासकीय अनुमान तथा एन. एस. एस. ओ. डाटा, 61वां चक्र 2004-05 एम आर पी)

जिनी कोएफिशियेन्ट जनसंख्या में आय वितरण की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक है, शून्य के निकट असमानता कम है, एक के निकट असमानता ज्यादा है।

⁵ तीन सामान्य संवर्ग के राज्यों यानी दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी को छोड़कर

11 विशेष संवर्ग राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम,

त्रिपुरा एवं उत्तराखंड) के रूप में कहा जाता है के अलावा, अन्य राज्य सामान्य संवर्ग राज्यों के हैं।

परिशिष्ट - 1.2

भाग-क

सरकारी लेखों की संरचना

(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा ।

भाग I : समेकित निधि : राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नाम से जाना जाता है

भाग II : आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

भाग III : लोक लेखा : प्राप्ति एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं ।

वित्त लेखों की रूपरेखा

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते हैं जिसके भाग-1 में सरकार के संक्षिप्त वित्तीय विवरण है और भाग-2 में इनके विस्तृत विवरण दिए गए हैं । रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है । आगे भाग-2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, योजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन संस्थाओं को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम और अनुरक्षण व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है ।

विवरण क्रमांक	रूपरेखा
1	राज्य की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति जिसमें 2011-12 के अन्त में सरकार की परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित संचयी आंकड़े दिये गये हैं ।
2	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों के तीन भागों सभी में प्राप्तियों और संवितरणों का संक्षेप
3	समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों, केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान और पूंजीगत, लोक ऋण और अन्य प्राप्तियों का संक्षेप
4	राज्य की समेकित निधि के विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत चालू वर्ष में व्यय का संक्षेप
5	2011-12 के दौरान तथा अन्त में मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विवरण
6	राज्य की ऋण स्थिति का संक्षेप जिसमें आंतरिक ऋणों, भारत सरकार, अन्य दायित्वों और ऋण शोधन से उधारियाँ सम्मिलित हैं ।
7	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिमों एवं पुनर्भुगतान की गई, बकाया वसूलियों आदि का संक्षेप
8	सरकार द्वारा नकद और वस्तुरूप में दिया गया सहायता अनुदान तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु जारी अनुदान, का संक्षिप्त विवरण पत्रक
9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के लिये सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षेप
10	दत्तमत एवं प्रभारित के मध्य व्यय का वितरण
11	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत लेखा
12	पृथक से योजनेतर, आयोजना और केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत लेखा
13	वर्ष के दौरान पृथक से योजनेतर, आयोजना और केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत लघु शीर्षवार पूंजीगत व्यय और 2011-12 के अन्त तक कुल व्यय के विस्तृत लेखे
14	वर्ष 2011-12 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंक, समितियों आदि में राज्य सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण और अंश पूंजी और डिबेंचर्स के बीच निवेश का तुलनात्मक सारांश भी देती हैं।

15	उधारियों एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण जिसके 2011-12 के अंत तक तथा के दौरान, लोक ऋण तथा अन्य ब्याज दायित्व, परिपक्वता रूपरेखा, पुनर्भुगतान अनुसूची तथा ब्याज दर रूपरेखा दर्शायी गयी हैं।
16	31 मार्च 2012 को बकाया शेष, वर्ष के दौरान ऋण पुनर्भुगतान की गयी राशि, म.प्र. सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिमों का विस्तृत लेखा तथा आयोजना उद्देश्य और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये वर्ष के दौरान दिये गये कर्ज
17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त अन्य निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग का विस्तृत विवरण
18	आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत लेखा
19	आरक्षित निधियों के उद्दिष्ट शेषों का विवरण

परिशिष्ट - 1.2 समाप्त

भाग ख

पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2012 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

(₹ करोड़ में)

मदें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण पत्रक संख्या का संदर्भ
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़		
I- देयताएं-					
1. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	17 एवं 18
2. निक्षेप	1872.19	1516.52	358.05	(-)2.38	17 एवं 18
3. आरक्षित निधियां	657.94 ^(क)	45.49	11.55	102.47 ^(ख)	17 एवं 18
4. उच्चत एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.18 ^(ग)	18
II- परिसम्पत्तियां-					
1. सकल पूंजीगत परिव्यय	15760.57	4993.86	1499.12	8788.75 ^(घ)	5 एवं 13
2. कर्ज तथा अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2186.26 ^(ङ.)	7 एवं 16
3. गारंटियां	9709.60	--	--	1464.33	9

टिप्पणी : और अधिक विवरणों हेतु वित्त लेखे देखें ।

- (क) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 42(1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार कुल ₹ 657.94 करोड़ में से ₹ 498.44 करोड़ छोड़ दिये गये ।
- (ख) भारत सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश में रोककर रखे गये ।
- (ग) विवरणों के अभाव में मध्य प्रदेश में रोककर रखे गये ।
- (घ) ₹ 478.85 करोड़ की प्रोफार्मा कमी के कारण ₹ 9,267.59 करोड़ के आकड़ों में अन्तर ।
- (ङ.) उत्तराधिकारी राज्यों से निर्णयों /विवरणों के प्राप्त न होने के कारण मध्य प्रदेश में रोककर रखे गये ।

परिशिष्ट - 1.3
भाग -क
राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली
(संदर्भ कण्डिका 1.1; पृष्ठ 1)

चयनित राजकोषीय बदलाव के लिये बारहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संचयों को मूर्त रूप देने हेतु अपने लक्ष्यों सहित निर्धारित मापदण्ड/परिसीमन और राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम (परिशिष्ट 1.3 का भाग-ख) के अधीन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु आवश्यक अन्य विवरण पत्रों में दी गई वचनबद्धताएँ/निर्धारित लक्ष्यों का उपयोग प्रमुख राजकोषीय संचयों की प्रवृत्ति तथा प्रणाली के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन हेतु किया जाता है। यह मान लेने पर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, प्रमुख राजकोषीय संचय जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बद्ध राजकोषीय बदलाव हेतु गुणांक उत्प्लावकता का भी यह मूल्यांकन करने हेतु आंकलन किया गया है कि क्या संसाधनों का संग्रहण, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख सकते हैं अथवा ये राजकोषीय संचय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं।

अन्तिम पाँच वर्षों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति निम्नानुसार है;

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	161479	197276	227984	260403	315387
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर* (प्रतिशत में)	11.69	22.17	15.57	14.22	21.11

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार

*2007-08 से 2010-11 अवधि के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों में संशोधन किये गये हैं, तदनुसार, 2007-08 से 2010-11 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में विभिन्न पैरामीटर का प्रतिशत सम्बन्धी अनुपात/उत्प्लावकता में भी संशोधन किये गये हैं।

परिशिष्ट - 1.3 जारी

भाग - ख

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

(संदर्भ कण्डिका 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 बनाया है जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावशील हुआ था राजकोषीय प्रबन्धन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने हेतु तथा राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी करके राजकोषीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन, सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों में अत्यधिक पारदर्शिता और मध्यम कालीन संरचना में राजकोषीय नीति के संचालन तथा उससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु अधिनियम में निर्दिष्ट तथा/अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों (30 जनवरी 2006) के अनुसार राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे:

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा को कम करेगी जिससे इसे 31 मार्च 2009 तक समाप्त किया जा सके तथा उसके पश्चात राजस्व अधिशेष को बढ़ाया जा सके;
- 31 मार्च 2012 तक, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, तक कम करना तथा उसके पश्चात उसे बनाए रखना⁶।
- 10 वर्षों की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करना, अर्थात् 31 मार्च 2015 को कुल दायित्व उस वर्ष के लिये प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो, और
- वार्षिक प्रत्याभूतियों की वृद्धि कर को परिसीमित करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालू वर्ष की कुल प्रत्याभूतियाँ पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा भारत संघ के बजट अनुमान के संबंध में केन्द्रीय कर न्यायमेन में कमी के आधारों के कारण और/या राज्य सरकार के वित्त पर आन्तरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं या ऐसे अन्य अपवादिक आधारों के कारण, जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगा।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमों में यथा निर्दिष्ट राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पथदर्शी मान चित्र

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2011-12 हेतु बजट अनुमान के साथ (क) वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण पत्रक, (ख) मध्यम कालीक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक एवं (ग) राजकोषीय नीति विवरण पत्रक प्रस्तुत किये हैं। चयनित संकेतकों के लिये 2009-10 हेतु वास्तविक आंकड़े, 2010-11 हेतु पुनरीक्षित अनुमान तथा 2011-12 हेतु बजट अनुमान मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में प्रस्तुत किये गये हैं (**परिशिष्ट 1.3 भाग-ग**)।

⁶ मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2011 के संशोधन अनुसार

कुछ चयनित शब्दों जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की प्रवृत्ति तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषा निम्नानुसार है:

शब्द	गणना का आधार
मानदण्डों की उत्प्लावकता	मानदण्ड की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर
मानदण्ड (भ) की अन्य मापदण्ड (म) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मानदण्ड (भ) की वृद्धि दर/मानदण्ड (म) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})/2]*100$
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (-) औसत ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण स्टॉक* ब्याज प्रसार
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज}/[(\text{ऋणों तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष} + \text{अन्त शेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत परिव्यय+निवल कर्ज तथा अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	2048-ऋण के परिहार की कमी हेतु विनियोग के अन्तर्गत विकलनों को छोड़ कर समस्त आयोजना अनुदानों तथा योजनेत्तर राजस्व व्यय को घटा कर राजस्व प्राप्तियां

परिशिष्ट - 1.3 समाप्त

भाग -ग

चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति

(संदर्भ कण्डिका 1.1; पृष्ठ 1)

(₹ करोड़ में)

सरल क्र.	राजकोषीय संकेतक	2009-10 के लेखे	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	2009-10 की तुलना में पिछले वर्षों में प्रतिशत परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
			2010.11 पुनरीक्षित अनुमान	2011-12 बजट अनुमान		
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	41394.70	52514.56	57789.99	26.86	10.05
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	28349.79	35284.05	40147.00	24.46	13.78
2.1	राज्य कर	17272.80	20379.83	23118.31	17.99	13.44
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	11076.99	14904.22	17028.69	34.55	14.25
3	करेतर राजस्व	6382.04	5997.45	5999.44	-6.03	0.03
4	केंद्र शासन से सहायक अनुदान	6662.87	11233.65	11643.55	68.59	3.65
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ(6+7+8)	5043.88	10620.47	8141.25	110.56	-23.34
6	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूली	47.82	418.67	73.86	775.51	-82.36
7	शुद्ध लोक ऋण	6208.46	6072.00	7657.19	-2.20	26.11
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	-1212.40	4129.80	410.20	-440.63	-90.07
9	कुल प्राप्तियाँ(1+5)	46438.58	63135.03	65931.24	35.95	4.43
10	राजस्व व्यय(10.1+10.2)	35896.90	47788.48	53923.49	33.13	12.84
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	26059.22	33201.36	38205.40	27.41	15.07
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	9837.68	14587.12	15718.09	48.28	7.75
10.3	राजस्व व्यय जिसमें					
10.3.1	ब्याज भुगतान	4454.30	5083.08	5342.18	14.12	5.10
10.3.2	सहायकी (सब्सिडी)	12391.63	17175.52	18328.12	38.61	6.71
10.3.3	मजदूरी एवं वेतन	10178.17	14674.35	17839.32	44.17	21.57
10.3.4	पेंशन संदाय	3077.18	4569.83	5158.05	48.51	12.87
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	7924.88	9545.78	8721.93	20.45	-8.63
11.1	आयोजनेतर पूँजीगत व्यय	61.05	141.06	39.89	131.06	-71.72
11.2	आयोजना पूँजीगत व्यय	7863.83	9404.72	8682.04	19.59	-7.68
12	ऋण एवं अग्रिम (12.1+12.2)	3819.66	3924.05	3200.21	2.73	-18.45
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	3142.76	2804.25	2021.55	-10.77	-27.91
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	676.90	1119.80	1178.66	65.43	5.26
13	कुल व्यय (13.1+13.2)	47641.44	61258.31	65845.63	28.58	7.49
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	29263.03	36146.67	40266.84	23.52	11.40
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	18378.41	25111.64	25578.79	36.64	1.86
14	राजस्व घाटा (1-10)/आधिक्य	5497.80	4726.08	3866.50	-14.04	-18.19
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-6198.92	-8325.08	-7981.78	34.30	-4.12
16	प्राथमिक घाटा [1+6-(13-10.3.1)]	-1744.62	-3242.00	-2639.60	85.83	-18.58

परिशि-ट - 1.4

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भ कण्डिका 1.6, 1.7, 1.10.2, 1.11.3; पृ-ठ 9, 14, 35 एवं 39)

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग क. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	30689(41)	33577(39)	41395(40)	51854(41)	62604(41)
(i) कर राजस्व	12018(39)	13614(41)	17273(42)	21419(41)	26973(43)
कृति आय पर कर	--	--	--	--	--
बिागी, व्यापार आदि पर कर	6045(50)	6843(50)	7724 (45)	10257(48)	12517(46)
राज्य उत्पाद शुल्क	1854(15)	2302(17)	2952 (17)	3603(17)	4317(16)
वाहन कर	703(6)	773(6)	919 (5)	1198(6)	1357(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1532(13)	1479(11)	1783(10)	2514(12)	3284(12)
भू-राजस्व	129(1)	339(2)	180 (1)	361(2)	279(1)
माल तथा यात्री कर	916(8)	1333(10)	1333 (8)	1746(8)	2047(8)
अन्य कर	839(7)	545(4)	2382 (14)	1740(8)	3172(12)
(ii) करेतर राजस्व	2738(9)	3343(10)	6382 (15)	5720(11)	7483(12)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	10203(33)	10767(32)	11077(27)	15638(30)	18219(29)
(iv) केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान	5730(19)	5853(17)	6663 (16)	9077(18)	9929(16)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	11	24	22	367	23
2 क.अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2	1	3	2	3
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	105	54	23	34	9123
4. कुल राजस्व तथा ऋणेततर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+2क+3)	30807	33656	41443	52257	71753
5. लोक ऋण प्राप्तियां	3371(5)	6553(8)	8603(8)	7458(6)	6750(4)
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां तथा अधिविकर्ा छोड़ कर)	2832(84)	5399(82)	7258 (84)	6363(85)	5718(85)
अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्ा के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	539(16)	1154(18)	1345 (16)	1095(15)	1032(15)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	34178	40209	50046	59715	78503
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	--	--	100
8. लोक लेखा प्राप्तियां	39896(54)	46460(54)	52353(51)	65675(52)	76315(49)
9. राज्य की कुल प्राप्तियों (6+7+8)	74074	86669	102399	125390	154918
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10.राजस्व व्यय	25601(76)	29514(77)	35897(75)	45012(78)	52694(68)
आयोजना	6806(27)	7622(26)	9838 (27)	12911(29)	16017(30)
योजनेतर	18795(73)	21892(74)	26059(73)	32101(71)	36677(70)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	9354(37)	10162(34)	12014(34)	14647(33)	16229(31)
सामाजिक सेवाएं	8146(32)	10146(34)	12962(36)	17345(39)	20297(38)
आर्थिक सेवाएं	6537(25)	7431(25)	8371 (23)	10084(22)	12965(25)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	1564(6)	1775(6)	2550 (7)	2935(7)	3203(6)
11. पूंजीगत व्यय	6833(20)	6713(18)	7925(17)	8800(15)	9055(12)

आयोजना	6511(95)	6503(97)	7864 (99)	8657(98)	9023(100)
योजनेतर	322(5)	210(3)	61 (1)	143(2)	32(0)
सामान्य सेवाएं	74(1)	125(2)	119 (1)	179(2)	167(2)
सामाजिक सेवाएं	1141(17)	1295(19)	1178 (15)	1532(17)	1599(18)
आर्थिक सेवाएं	5618(82)	5293(79)	6628 (84)	7089(81)	7289(80)
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	1155(3)	1861(5)	3817 (8)	3715(6)	15760(20)
12 क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2	1	3	2	4
13. योग (10+11+12+12क)	33591	38089	47642	57529	77513
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1677	1961	2394	2529	3150
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों को छोड़ कर)	1240	1516	1938	2012	2520
अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन	--	--	--	--	--
केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा अग्रिम	437	445	456	517	630
15. आकस्मिकता निधि में विनियोग	--	--	--	--	100
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+ 14+ 15)	35268	40050	50036	60058	80763
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	39423	45989	50872	62344	73279
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	74691	86039	100908	122402	154042
भाग ग. घाटे					
20. राजस्व घाटे (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	5088	4063	5498	6842	9910
21. राजकोषीय घाटा (-) /राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	-2784	-4433	-6199	-5272	-5760
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	1407	-241	-1745	-223	-460
भाग घ. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	4191	4192	4454	5049	5300
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	898	1087	1434	9117	10830
25. ली गई अर्थोपाय पेशगियां तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय पेशगियां (दिन)	--	2	--	--	--
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
26. अर्थोपाय पेशगियों/अधिविकर्षों पर ब्याज	--	0.01/00	--	--	--
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁷	161479	197276	227984	260403	315387
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	55311	60432	67853	75504	81757

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
29. बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	856	1930	1630	5111	5605
30. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	12086	11991	11823	8439	11108
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	3 ⁸	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	28 ⁹
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध निधियाँ	13 ⁸	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	9128.68 ⁹
भाग-डू राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.44	6.90	7.58	8.23	8.55
स्वयं के करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.70	1.69	2.80	2.20	2.37
केन्द्रीय अन्तरण ¹⁰ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	9.87	8.42	7.78	9.49	8.92
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्पलावकता (प्रतिशत)	1.32	0.70	0.87	1.05	0.80
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.80	19.31	20.90	22.09	24.58
कुल व्यय/ राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	109.46	113.44	115.09	110.94	123.81
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	76.21	77.49	75.35	78.24	67.98
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत)	28.65	30.65	30.10	33.14	28.43
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	37.85	37.61	38.98	35.93	46.28
पूँजीगत परिव्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	20.34	17.62	16.63	15.30	11.68
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	20.12	17.29	16.38	14.99	11.47
III राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	+3.15	+2.16	+2.41	+2.63	+3.14
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-1.72	-2.25	-2.72	-2.02	-1.83
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	+0.87	-0.12	-0.77	-0.09	-0.15

⁸ उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेखे में जानकारी उपलब्ध है।

⁹ उस सीमा तक जिस सीमा तक महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा उपलब्ध करायी गई।

¹⁰ केन्द्रीय अन्तरण में संघ करो/शुल्कों का भाग एवं केन्द्रीय सरकार से अनुदान समाविष्ट हैं।

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व घाटा /राजकोषीय घाटा	लागू नहीं				
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	13.26	12.84	13.79	15.35	15.03
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34.25	30.63	29.76	29.00	25.92
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	180.23	179.98	163.92	145.61	130.59
प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा	(+)2740	(+)3764	(+)2117	(+)8333	(+)10390
ऋण परिशोधन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां (अनुपात)	1.20	0.95	0.84	0.87	0.95
V अन्य राजकोषीय स्थिति संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (₹ करोड़ में तथा कोष्ठक में प्रतिशत में)	59.23 (0.67)	69.05 (0.72)	49.75 (0.43)	32.20 (0.26)	37.98 (0.29)
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	7275	6846	10206	12313	18112
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.94	1.01	0.91	0.82	0.72

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के योगों की तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं ।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- उपरोक्त दिये गये विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण परिशिष्ट - 1.5 में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मदें अथवा प्राप्ति योग्य मदें अथवा मदें जैसे मूल्य ह्रास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिये गये हैं। उच्चत तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किये गये चेक राज्य की ओर से किये गये भुगतान एवं अन्य लिखित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
- 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 692.55 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 610.97 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2012 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 81.58 करोड़ रुपये (नामे) का अन्तर था। अप्रैल 2012 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 74.62 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।
- लागू नहीं क्योंकि राज्य ने राजस्व आधिक्य 2004-05 के बाद से वर्तमान तक बनाए रखा है।

परिशिष्ट - 1.5
भाग-क
वर्ष 2011-12 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश
(संदर्भ कण्डिका 1.2; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
				2011-12				
2010-11		2011-12	2010-11		आयोजनेत्तर	आयोजना	योग	
भाग-क:राजस्व								
51854.18	I.	राजस्व प्राप्तियां	62604.07	45011.59	राजस्व व्यय	36677.16	16016.55	52693.71
21419.34		- कर राजस्व	26973.44	14646.68	सामान्य सेवाएं	16091.11	137.53	16228.64
				17345.40	सामाजिक सेवाएं	10460.00	9836.94	20296.94
5719.77		- करेतर राजस्व	7482.73	8285.99	- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	6800.15	3008.74	9808.89
				2039.33	- स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1730.75	700.63	2431.38
15638.51		- संघ करों में राज्य का भाग	18219.13	1595.84	- जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	657.69	1146.14	1803.83
1636.13		- योजनेत्तर अनुदान	2113.47	77.92	- सूचना तथा प्रसारण	87.34	5.14	92.48
				1590.32	- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	319.19	1490.49	1809.68
4520.92		- राज्य आयोजना योजनाओं के लिये अनुदान	4215.28	145.20	- श्रमिक तथा श्रम कल्याण	115.76	51.84	167.60
				3582.79	- समाज कल्याण तथा पोषण	717.93	3433.96	4151.89
2919.51		- केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिये अनुदान	3600.02	28.01	- अन्य	31.19	--	31.19
				10084.48	आर्थिक सेवाएं	7499.98	5464.93	12964.91
				3994.62	- कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	2900.84	2129.06	5029.90
				2641.09	- ग्रामीण विकास	866.82	2055.40	2922.22

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण			
2010-11			2011-12	2010-11		2011-12		
						आयोजनेतर	आयोजना	योग
				610.86	- सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	477.24	176.85	654.09
				1653.25	- ऊर्जा	1344.71	726.15	2070.86
				391.78	- उद्योग तथा खनिज	955.16	252.34	1207.50
				630.76	- परिवहन	891.88	--	891.88
				45.39	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	5.29	41.55	46.84
				116.73	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	58.04	83.58	141.62
				2935.03	सहायता अनुदान तथा अंशदान	2626.07	577.15	3203.22
	II.	भाग ख में अग्रणीत राजस्व घाटा		6842.59	भाग ख में अग्रणीत राजस्व आधिक्य			9910.36
51854.18		योग	62604.07	51854.18	योग			62604.07
भाग ख								
3912.93	III	प्रारम्भिक नकद शेष स्थाई अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	6900.44	--	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष			--
366.54	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	22.65	8799.88	पूंजीगत परिव्यय	32.29	9022.87	9055.16
				178.65	सामान्य सेवाएं	11.07	156.09	167.16
				1532.03	सामाजिक सेवाएं	14.46	1584.66	1599.12
				271.16	- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	0.50	171.22	171.72
				114.87	- स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	9.52	132.05	141.57
				641.55	- जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	--	743.38	743.38
				--	- सूचना तथा प्रसारण	--	--	--
				344.23	- अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	--	420.74	420.74
				158.46	- समाज कल्याण तथा पोषण	4.44	102.84	107.28
				1.76	- अन्य सामाजिक सेवाएं	--	14.43	14.43

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
2010-11			2011-12	2010-11		2011-12		
						आयोजनेतर	आयोजना	योग
				7089.20	आर्थिक सेवाएं	6.77	7282.11	7288.88
				225.50	- कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	-2.80	130.28	127.48
				921.52	- ग्रामीण विकास	--	974.37	974.37
				3433.07	- सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	--	3317.73	3317.73
				409.63	- ऊर्जा	--	1025.83	1025.83
				28.02	- उद्योग तथा खनिज	9.55	29.64	39.19
				2029.35	-परिवहन	--	1728.41	1728.41
				9.25	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	--	3.85	3.85
				32.86	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.02	72.00	72.02
33.65	V	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	9122.56	3714.73	कर्ज तथा अग्रिम संवितरित	14681.31	1079.25	15760.56
---		- बिजली परियोजनाओं से	9084.67	3475.45	- बिजली परियोजनाओं को	14445.76	654.46	15100.22
0.49		- सरकारी कर्मचारियों से	-0.10	0.34	- सरकारी कर्मचारियों को	0.04	--	0.04
33.16		-अन्यो से	37.99	238.94	- अन्यो के लिये	235.51	424.79	660.30
1.64	VI	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.65	1.85	अन्तर्राज्यीय परिशोधन			3.70
6842.59	VII	अधोनीत राजस्व आधिक्य	9910.36	--	अधोनीत राजस्व घाटा			
7457.94	VIII	लोक ऋण प्राप्तियां	6750.25	2529.23	लोक ऋण का पुनर्भुगतान			3149.79
6363.46		-अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	5717.65	2011.62	- अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण			2520.28
		अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेन-देन			अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेन-देन			--
		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन						

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
2010-11			2011-12	2010-11		2011-12		
						आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
1094.48		- केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1032.60	517.61	- केन्द्र सरकार को ऋण तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान	--	--	629.51
	IX	आकस्मिक निधि को विनियोग	--		आकस्मिक निधि को विनियोग	--	--	100.00
	X	आकस्मिक निधि को अन्तरित राशि	100.00		आकस्मिक निधि से व्यय	--	--	
65675.10	XI	लोक लेखा प्राप्तियां	76315.22	62344.26	लोक लेखा प्राप्तियां	--	--	73279.04
1737.35		- लघु बचतें तथा भविष्य निधियां	2033.07	964.42	- लघु बचतें तथा भविष्य निधियां	--	--	1335.10
1190.83		- आरक्षित निधियां	1534.55	916.16	- आरक्षित निधियां	--	--	342.74
41810.23		- उच्चत तथा विविध	50619.85	41724.38	- उच्चत तथा विविध	--	--	50648.06
11212.55		- प्रेषण	12256.15	10693.36	- प्रेषण	--	--	11865.16
9724.14		-जमा तथा अग्रिम	9871.60	8045.94	-जमा तथा अग्रिम	--	--	9087.98
	-XII	भारतीय रिजर्व बैंक में अन्तिम अधिविकर्ष	-	6900.44	वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष	--	--	7775.88
				2.61	- खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	--	--	2.61
				-2707.88	- रिजर्व बैंक में जमा	--	--	692.55 ¹¹
				14.48	- स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	--	--	3.29
				9591.23	- रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश	--	--	7077.43
136144.57		योग	171728.20	136144.57	योग			171728.20

¹¹ भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 692.55 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 610.97 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2012 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 81.58 करोड़ रुपये (नामे) का अन्तर था। अप्रैल 2012 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 74.62 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

परिशिष्ट - 1.5 जारी

भाग -ख

31 मार्च 2012 को मध्य प्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ कण्डिका 1.10.1; पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

31.03.2011 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2012 की स्थिति में
46813.64	आन्तरिक ऋण-	50011.01
24877.38	ब्याज वाले बाजार कर्ज	28043.60
0.38	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.38
116.72	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	105.48
5570.96	अन्य संस्थाओं से कर्ज	5780.53
16248.20	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	16081.02
--	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	--
--	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	--
10955.82	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम-	11358.91
1.88	1984-85 से पूर्व के कर्ज	1.88
57.58	योजनेत्तर कर्ज	53.87
10788.74	राज्य आयोजना योजनाओं के लिये कर्ज	11303.16
16.85	केन्द्रीय आयोजना योजनाओं के लिये कर्ज	--
90.77	केन्द्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिये कर्ज	--
100.00	आकस्मिकता निधि	200.00
9219.87	लघु बचते, भविष्य निधियां आदि	9916.31
6518.51	जमा	7300.27
2375.56	आरक्षित निधियां	3567.37
191.59	उचन्त तथा विविध शेष	166.06
289.33	प्रेषण शेष	680.39
76464.32	योग	83200.32
	परिसम्पत्तियां	
67884.70	स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	76917.21
12216.04	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	13183.59
55668.66	अन्य पूंजीगत परिव्यय	63733.62
15104.75	कर्ज तथा अग्रिम	21742.39
11344.30	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	17359.84
3731.20	अन्य विकास कर्ज	4353.52
29.25	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	29.03
-	आकस्मिकता निधि में अंतरण	100.00

		(₹ करोड़ में)
31.03.2011 की स्थिति	देयताएं	31.03.2012 की स्थिति में
12.85	अग्रिम	11.00
--	प्रेषण शेष	--
6900.44	रोकड़-	7775.88
2.61	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	2.61
-2707.88	रिजर्व बैंक में जमा	692.55 ¹²
14.48	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	3.29
9212.17	रोकड़ शेष निवेश	6680.13
379.06	आरक्षित निधि निवेश	397.30
-13438.42	सरकारी लेखाओं में घटा-	-23346.16
-6842.59	(i) चालू वर्ष की राजस्व आधिक्य को घटा कर	-9910.36
0.2	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1.05
1.05	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	2.68
-3.68	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा समायोजन	-1.11
-329.66	(घ) विविध पूंजी प्राप्ति-अन्य जमा	--
-6263.75	वर्ष के आरंभ में संचित घटा	-13438.42
76464.32		83200.32

¹² भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹692.55 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹610.97 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2012 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹81.58 करोड़ रुपये (नामे) का अन्तर था। अप्रैल 2012 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹74.62 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

परिशिष्ट - 1.6

करेतर राजस्व के मुख्य घटकों के कार्यचालन तथा संधारण प्रभारों का मूल्य दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ कंडिका 1.6.1; पृष्ठ 13)

(₹ करोड़ में)

सरल क्र.	विभाग	करेतर राजस्व प्राप्तियाँ	कार्यचालन तथा संधारण व्यय	कार्यचालन तथा संधारण व्यय की तुलना में करेतर राजस्व प्राप्तिओं का अनुपात
1.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1551.15	8.14	190.56
2.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	30.25	4.60	6.58
3.	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	42.84	169.28	0.25
4.	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	922.96	9.35	98.71
5.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	304.47	37.69	8.08
6.	बिजली तथा ऊर्जा	455.95	16.26	28.04
7.	परिवहन	7.44	527.15	0.01

परिशिष्ट - 1.7

2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ₹ 25 लाख या इससे अधिक की सीधे अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को अन्तरित निधियां
(संदर्भ कंडिका 1.5.2; पृष्ठ 8)

(₹ लाख में)

स. क्र.	भारत सरकार की योजनाएं	अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों का नाम	भारत सरकार द्वारा विमोचित (2011-12)
1	2	3	4
1.	शैक्षणिक संस्थाएं	आरोग्यधाम, दीनदयाल अनुसंधान संस्था	36.95
2.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा का सुदृढीकरण	राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट एजेंसी	51.21
3.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा का सुदृढीकरण	बंधवाल शिक्षा समिति	29.54
4.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा का सुदृढीकरण	आदर्श लोक कल्याण (आलोक) संस्थान एजेन्सी	66.55
5.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा का सुदृढीकरण	म.प्र.आदिवासी सेवक संघ	42.32
6.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा का सुदृढीकरण	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति	46.11
7.	प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए अशासकीय संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों के लिए समर्थन	प्रौढ़ और सतत शिक्षा के लिए संसाधन केंद्र, भोपाल	31.56
8.	प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए अशासकीय संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों के लिए समर्थन	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केंद्र, इंदौर	60.60
9	सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आई.टी.आई. का उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की आई.एम.सी. समिति, बीना	250.00
10	सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आई.टी.आई. का उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की आई.एम.सी. समिति, खाखनार	250.00
11	सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आई.टी.आई. का उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की आई.एम.सी. समिति, महिला सिंहाना, मनावर	250.00

परिशिष्ट 1.8

अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था, हेतु 31 मार्च 2012 की स्थिति में हानि में चलने वाले सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति (संदर्भ कंडिका 1.9.2; पृष्ठ 31)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कम्पनियों/निगमों के नाम	जिस वर्ष तक के लेखाओं को प्रस्तुत किये गये	वर्ष के अन्त में निवेशित राशि (प्रदत्त पूंजी)				वर्ष के 31 मार्च के अन्त में संचित हानि (-)	क्षेत्र
			राज्य	केन्द्र	अन्य	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड,	2009-10	2.10	1.20	--	3.30	2.96	कृषि तथा सम्बद्ध
2	मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित,	2010-11	81.09	--	--	81.09	601.54	वित्त
3	पिथमपुर आटो क्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	2011-12			11.98	11.98	7.89	निर्माण
4	मध्यप्रदेश ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2011-12	--	--	1.00	1.00	0.37	निर्माण
5	मध्यप्रदेश ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2011-12	--	--	1.00	1.00	0.29	निर्माण
6	मध्यप्रदेश ए.एम.आर.एल. (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2011-12	--	--	1.00	1.00	0.33	निर्माण
7	मध्यप्रदेश ए.एम.आर.एल. (मरकी बकरा) कोल कंपनी लिमिटेड	2011-12	--	--	1.00	1.00	0.31	निर्माण
8	मध्यप्रदेश जे.पी. कोल लिमिटेड	2011-12	--	--	10.00	10.00	0.08	निर्माण
9	मध्यप्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2011-12	--	--	2.00	2.00	0.34	निर्माण
10	मध्यप्रदेश जे.पी. मिनरल्स लिमिटेड	2011-12	--	--	21.43	21.43	1.23	निर्माण
11	मध्यप्रदेश जे.पी. कोल क्षेत्र लिमिटेड	2011-12	--	--	1.00	1.00	0.38	निर्माण
12	मध्यप्रदेश सैनिक कोल माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2011-12	--	--	29.98	29.98	0.68	निर्माण
13	मध्यप्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड	2011-12	2184.44	--	--	2184.44	138.62	ऊर्जा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2011-12	1391.44	--	--	1391.44	4552.33	ऊर्जा
15	मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2011-12	1630.91	--	--	1630.91	4497.61	ऊर्जा
16	मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2010-11	1436.39	--	--	1436.39	3219.11	ऊर्जा
17	मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2011-12	3924.50	--	185.00	4109.50	1348.57	ऊर्जा
18	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2009-10	24.97	--	--	24.97	4.34	सेवा
19	कटनी सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड	2010-11	--	--	0.15	0.15	0.01	सेवा
20	मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम	2011-12	333.70	--	22.44	356.14	233.66	वित्त
21	मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम	2007-08	109.96	31.85	--	141.81	1024.52	सेवा
22	मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड*	2009-10	5.92	--	--	5.92	6.33	कृषि तथा सम्बद्ध
23	मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड*	2007-08	13.14	--	--	13.14	48.41	आधारभूत संरचना
24	मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड*	1989-90	5.00	--	--	5.00	2.15	आधारभूत संरचना
25	ऑप्टेल टेली कम्यूनिकेशन लिमिटेड*	2009-10	--	--	23.97	23.97	131.76	निर्माण
26	मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड*	2006-07	6.86	--	--	6.86	107.90	निर्माण
		Total	11150.42	33.05	311.95	11495.42	15931.72	

*अकार्यशील सरकारी कम्पनियां

परिशिष्ट - 1.9
वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान राजसहायता भुगतान का विवरण
(संदर्भ कंडिका 1.7.2; पृष्ठ 20)

(₹ करोड़ में)

स.क्र	विभाग	विवरण एवं लेखा शीर्ष	2010-11			2011-12		
			योजनेतर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्र आयोजना सहित)	योग	योजनेतर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्र आयोजना सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पशुपालन	2403-पशुपालन	--	--	--	--	4.72	4.72
2	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2230-श्रम एवं रोजगार	--	--	--	1.84	--	1.84
3	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	--	--	--	--	35.02	35.02
4	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2852-उद्योग	--	--	--	0.08	113.94	114.02
5	गृह	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	--	--	0.80	--	0.80
6	सामान्य प्रशासन	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	--	--	1.80	--	1.80
7	गृह	2055-पुलिस	--	--	--	0.60	--	0.60
8	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-फसल कृषि कर्म		31.09	31.09	--	69.75	69.75
9	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-फसल कृषि कम	3.00	182.18	185.18	3.73	401.21	404.94
10	वित्त	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	--	--	--	--	25.38	25.38
11	जन शक्ति नियोजन	2203-तकनीकी शिक्षा	--	--	--	0.50	3.29	3.79
12	जन शक्ति नियोजन	2230-श्रम एवं रोजगार	--	--	--	--	0.15	0.15
13	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-गैर पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत	--	--	--	--	6.01	6.01
14	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	6.85	--	6.85	18.34	--	18.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	--	---	--	65.00	--	65.00
16	जनसम्पर्क	2220-सूचना तथा प्रचार	--	--	--	0.35	--	0.35
17	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	--	--	--	0.03	--	0.03
18	राजस्व	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	--	--	--	12.81	--	12.81
19	अनुसूचित जनजाति कल्याण	2202-सामान्य शिक्षा	--	--	--	--	39.52	39.52
20	अनुसूचित जाति कल्याण	2202-सामान्य शिक्षा	--	--	--	--	36.99	36.99
21	स्कूल शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा	--	--	--	--	172.52	172.52
22	उच्च शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा	--	--	--	--	1.01	1.01
23	सामाजिक न्याय	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	0.70	0.70	--	0.47	0.47
24	नगरीय प्रशासन एवं विकास	2217-शहरी विकास	--	--	--	--	14.00	14.00
25	ग्रामोद्योग	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	--	--	--	--	11.17	11.17
26	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	--	--	--	0.24	0.24
27	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408-खाद्य, भण्डारण तथा भंडागार	49.05	--	49.05	40.00	--	40.00
28	वन	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	--	--	--	0.06	--	0.06
29	सामान्य प्रशासन	2012-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल /संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	--	--	--	0.24	--	0.24
30	सामान्य प्रशासन	2013-मंत्री परिषद	--	--	--	52.91	--	52.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	सहकारिता	2425-सहकारिता	2.56	--	2.56	--	240.34	240.34
32	ऊर्जा	2801-बिजली	1,519.86	15.00	1,534.86	1,344.45	207.00	1,551.45
योग			1,581.32	228.97	1,810.29	1,543.54	1,382.73	2,926.27

परिशिष्ट - 1.10

भाग- क

अपूर्ण परियोजना का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत का पुनरीक्षण किया गया
जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश
(संदर्भ कण्डिका 1.9.1; पृष्ठ 30)

(₹ लाखों में)

विभाग	सरल क्रमांक	अपूर्ण परियोजनाओं के नाम	प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत (कॉलम 4)	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत (कॉलम 5)	व्यय/लागत आधिक्य (कॉलम 5-कॉलम 4)	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2012)
जल संसाधन डिवाइज़न, सोहागपुर	1	तवा परियोजना (तवा आर.बी.सी. पद्धति के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण)	1306.10	2039.74	733.64	1749.91
जल संसाधन डिवाइज़न नंबर 11, बैतूल	2	गोधना टैंक	826.00	1399.57	573.57	926.65
	3	बाकुड़ टैंक	1096.00	1567.78	471.78	1414.60
	4	पचधर टैंक	298.46	717.99	419.53	595.55
	5	रबरिया टैंक	159.96	368.42	208.46	276.37
	6	मोतीधाना टैंक	188.33	429.18	240.85	355.28
	7	कौड़ी टैंक	527.08	518.64	0.00*	82.11
	8	घूंघटी टैंक	495.11	1063.17	568.06	814.20
मुख्य अभियंता, यमुना बेसिन, ग्वालियर	9	शिवमपत टैंक	396.08	657.02	260.94	512.73
	10	कनेरा एल.आई.एस.	397.59	4695.39	4297.80	2302.00
मुख्य अभियंता, चंबल, बेतवा बेसिन	11	बर्धा नाला टैंक	125.57	950.00	824.43	997.29
	12	बिरहाई टैंक	838.41	2004.14	1165.73	1483.21
	13	कुशालपुरा टैंक	5250.62	8188.13	2937.51	6402.00
	14	संजय सागर आर डी (XI)	1398.20	25033.00	23634.80	19244.16
	15	सगढ़ आर डी (XVII)	1063.11	22676.51	21613.40	16917.10
	16	रहती, गंज बसोदा	2835.25	4709.75	1874.50	3740.64
योग	16		17201.87	77018.43	59825.00	57813.80

टिपपणी: महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार

* कोई भी लागत आधिक्य नहीं हुआ।

परिशिष्ट - 1.10

भाग- ख

अपूर्ण परियोजना का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-
जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश
(संदर्भ कण्डिका 1.9.1; पृष्ठ 30)

(₹ लाखों में)

विभाग	सरल क्रमांक	अपूर्ण परियोजनाओं के नाम	प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	व्यय/लागत आधिक्य	मार्च 2012 की स्थिति में संचयी वास्तविक व्यय
मुख्य अभियंता, यमुना बेसिन, ग्वालियर	1	सिंद रमउआ	1951.62	--	--	1380.00
	2	सबलगढ़ टैंक	147.00	--	--	179.38
जल संसाधन डिवीज़न नंबर 2, बैतूल	3	धनगाव टैंक	343.66	--	--	330.09
जल संसाधन डिवीज़न, रेहती, जिला-सीहोर	4	मारदनपुर एलआईएस	1628.00	--	--	1107.31
	5	कोलार परियोजना नहर को सुदृढ़ हुआ	815.00	--	--	677.67
योग	5		4885.28	--	--	3674.45

टिप्पणी: महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार

कुल प्रारंभिक लागत (16 + 5) 21 परियोजनायें = (17201.87 + 4885.28) = 22087.15

31.03.2012 तक कुल संचयी वास्तविक व्यय (16+5) 21 परियोजनायें = (57813.80 + 3674.45) = 61488.25

परिशिष्ट - 1.10

भाग- ग

अपूर्ण परियोजना का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत का पुनरीक्षण किया गया
नर्मदा घाटी विकास विभाग, मध्य प्रदेश
(संदर्भ कण्डिका 1.9.1; पृष्ठ 30)

(₹ करोड़ में)

विभाग	सरल क्रमांक	अपूर्ण परियोजनाओं के नाम	प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत (कॉलम 4)	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत (कॉलम 5)	व्यय/लागत आधिक्य (कॉलम 4-कॉलम 5)	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2012)
नर्मदा घाटी विकास विभाग	1	बरगी व्यपवर्ती परियोजना	1101.23	5127.22	4025.99	1572.49
	2	इंदिरा सागर परियोजना (इकाई - II)	2167.67	3151.18	983.51	3327.87
	3	ओंकारेश्वर (इकाई -II)	788.00	2921.54	2133.54	1176.36
	4	रानी अवन्ति बाई लोधी सागर परियोजना (आर.ए.बी.एल.एस.)	566.34	1514.89	948.55	1562.48
	5	अपर बेड़ा	89.51	224.41	134.90	214.94
	6	पुनासा एल.आई.एस.	185.04	488.06	303.02	436.70
	7	लोवर गोई	98.09	360.37	262.28	222.96
योग			4995.88	13787.67	8791.79	8513.80

परिशिष्ट - 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र
(संदर्भ कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	लोक ऋण	लोक ऋण (पूँजीगत प्रभारित)	6800.10	3650.31	53.68
2.	03	पुलिस (पूँजीगत दत्तमत)	72.34	37.47	51.80
3.	06	वित्त (राजस्व दत्तमत)	6509.81	1966.21	30.20
4.	06	वित्त (राजस्व प्रभारित)	14.78	14.23	96.28
5.	06	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	1618.30	1501.78	92.80
6.	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत)	882.44	193.14	21.88
7.	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	49.51	16.18	32.68
8.	10	वन (राजस्व प्रभारित)	12.53	12.09	96.49
9.	16	मछली पालन (राजस्व दत्तमत)	60.58	13.04	21.52
10.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	113.15	91.25	80.64
11.	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय (पूँजीगत दत्तमत)	154.20	44.23	28.68
12.	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	686.95	137.82	20.06
13.	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व प्रभारित)	65.04	14.69	22.59
14.	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	459.30	386.38	84.12
15.	34	सामाजिक न्याय (राजस्व दत्तमत)	136.58	37.74	27.63
16.	38	आयुष (राजस्व दत्तमत)	245.53	76.08	30.99
17.	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट (राजस्व दत्तमत)	112.42	109.64	97.53
18.	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल (पूँजीगत दत्तमत)	416.06	137.61	33.07
19.	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	37.30	11.23	30.11

1	2	3	4	5	6
20.	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (पूँजीगत दत्तमत)	358.28	142.06	39.65
21.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	148.81	70.36	47.28
22.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)	619.18	258.30	41.72
23.	63	अल्प संख्यक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	56.21	18.33	32.61
24.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (पूँजीगत दत्तमत)	108.61	41.39	38.11
25.	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	64.68	16.69	25.80
26.	69	सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व दत्तमत)	31.32	10.76	34.35
27.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व प्रभारित)	200.80	60.65	30.20
28.	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	28.39	15.76	55.51
29.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)(राजस्व दत्तमत)	1375.64	322.39	23.43
योग			21438.84	9407.81	43.88

परिशिष्ट - 2.2(क)

अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ जिनमें व्यय प्रावधान से ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था, का विवरण पत्र
(संदर्भ कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/विनियोग के अंतर्गत योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5849-6.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2019	54.00	86.98	32.98	61.07
2.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-4487 सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	650.00	1043.53	393.53	60.54
3.	लोक ऋण	6003-111-6835-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	380.00	608.21	228.21	60.05
4.	लोक ऋण	6004-03-800-8437-त्वरित लाभप्रद कार्यक्रम हेतु ऋण	2.71	16.24	13.53	499.26
5.	लोक ऋण	6004-04-102-3128-भू एवं जल संरक्षण के लिए उधार	1.76	15.68	13.92	790.91
6.	लोक ऋण	6004-04-800-6420-माइक्रो मनेजमेंट हेतु उधार	2.02	53.67	51.65	2556.93
7.	01-सामान्य प्रशासन	2013-105-5839-मुख्य मंत्री वैवेकिक अनुदान	30.00	41.04	11.04	36.80
8.	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	7.00	18.07	11.07	158.14
9.	06-वित्त	2071-01-101-9998-मध्य प्रदेश	260.00	345.35	85.35	32.83
10.	06-वित्त	2071-01-105-9998-मध्य प्रदेश	75.00	114.47	39.47	52.63
11.	06-वित्त	2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना	75.00	90.46	15.46	20.61
12.	06-वित्त	2075-797-6857-प्रतिभूति रिडम्पशन निधि में हस्तांतरण	1.00	18.64	17.64	1764.00

1	2	3	4	5	6	7
13.	07-वाणिज्यिक कर	2030-02-102-2455-- न्यायिकेतर स्टांप की बिक्री पर व्यय	30.00	40.22	10.22	34.07
14.	07-वाणिज्यिक कर	2039-104-4173- स्प्रिट की खरीद	15.00	59.21	44.21	294.73
15.	12-ऊर्जा	2801-80-101-5855-मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/शेअरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु क्षतिपूर्ति	262.00	1046.70	784.70	299.50
16.	12-ऊर्जा	6801-205-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-5523-कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	नगण्य	103.82	103.82	नगण्य प्रावधान के विरुद्ध आधिक्य
17.	12-ऊर्जा	6801-204-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6869-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	28.81	61.05	32.24	111.90
18.	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	35.69	45.88	10.19	28.55
19.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 4515-789-800-0420- खनिज क्षेत्र विकास निधि- 6084-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	61.86	84.34	22.48	36.34
20.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6229- चिकित्सालयों का सुदृढीकरण	3.00	14.33	11.33	377.67
21.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना	124.40	162.91	38.51	30.96
22.	23-जल संसाधन	4700-13-800-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	100.00	120.45	20.45	20.45

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7
23.	24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6651-रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	21.00	35.02	14.02	66.76
24.	24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	5054-03-337-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-0948- केन्द्रीय सड़क निधि	189.00	246.32	57.32	30.33
25.	24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5701- बी.ओ.टी. मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण	7.00	37.00	30.00	428.57
26.	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6484- आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	0.50	14.42	13.92	2784.00
27.	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6813- साइकिलों का प्रदाय	31.09	56.24	25.15	80.89
28.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	15-सहकारिता विभाग 2425-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7895-दाम दुपट योजना	0.02	32.31	32.29	161450.00
29.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-43-796-800-1502- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	72.31	92.62	20.31	28.09
30.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-45-796-800-1502- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 9091-ओंकारेश्वर परियोजना	213.79	266.54	52.75	24.67
31.	48-नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	85.73	245.60	159.87	186.48

1	2	3	4	5	6	7
32.	48-नर्मदा घाटी विकास	4700-45-800-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-9091- ओंकारेश्वर परियोजना	3.93	47.77	43.84	1115.52
33.	52- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2216-03-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5198-इंदिरा आवास योजना	28.88	42.73	13.85	47.96
34.	52- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 4515-796-800-0420- खनिज क्षेत्र विकास निधि- 6084-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	19.57	42.84	23.27	118.90
35.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-8030- पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु	104.38	443.61	339.23	324.99
36.	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6077-नवीन लघु सिंचाई योजनायें	42.52	66.51	23.99	56.42
37.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	15- सहकारिता विभाग 2425-789-800-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना- 7895- दाम दुपट योजना	0.02	13.39	13.37	66850.00
38.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-789-101-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना- 6484-आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	0.20	14.12	13.92	6960.00
39.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-789-109-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना- 6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	1.60	14.56	12.96	810.00
40.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2216-03-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 5198-इंदिरा आवास योजना	35.22	55.25	20.03	56.87

1	2	3	4	5	6	7
41.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4515-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि-6084-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	159.15	237.60	78.45	49.29
42.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6221- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स	33.57	105.11	71.54	213.11
योग			3248.73	6300.81	3052.08	93.95

परिशिष्ट - 2.2(ख)
प्रकरण जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान ₹ पाँच करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा
(संदर्भ कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6804-6.35 प्रतिशत-मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2013	25.45	निरंक	25.45	100
2.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7887-5.85 प्रतिशत-मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	46.80	निरंक	46.80	100
3.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेंस की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज	50.00	निरंक	50.00	100
4.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-6973-स्थानीय निधि निक्षेप खातों पर ब्याज	10.00	निरंक	10.00	100
5.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-6854-अंशदायी पेंशन योजना	5.50	निरंक	5.50	100
6.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-108-0117-परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज	5.00	निरंक	5.00	100
7.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	8.01	निरंक	8.01	100
8.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6971-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-2003 (बचत निधि पर ब्याज)	22.46	निरंक	22.46	100
9.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6972-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	55.92	निरंक	55.92	100
10.	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0637-उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
11.	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0779 - कमियों की पूर्ति के लिये अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
12.	06	वित्त	2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5652-मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष योजना	5.00	निरंक	5.00	100

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	06	वित्त	2054-095-6217-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा	7.50	निरंक	7.50	100
14.	06	वित्त	2070-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0224-अन्य व्यय	1109.71	निरंक	1109.71	100
15.	06	वित्त	2071-01-200-5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	34.00	निरंक	34.00	100
16.	10	वन	2406-01-797-3885-वन विकास निधि में अंतरण (भारित)	12.00	निरंक	12.00	100
17.	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5380-आटो टेस्टिंग ट्रेक के लिए भू-अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, भू-अर्जन मुआवजा	38.98	निरंक	38.98	100
18.	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2501-06-789-198-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6487-इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल हेबीटेड	22.58	निरंक	22.58	100
19.	17	सहकारिता	6425-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7827-अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	22.15	निरंक	22.15	100
20.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-6034-स्वजल धारा कार्यक्रम	25.00	निरंक	25.00	100
21.	23	जल संसाधन	4700-21-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6596-सुधार, सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	34.15	निरंक	34.15	100
22.	23	जल संसाधन	4701-80-001-1401-नाबार्ड (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	5.00	निरंक	5.00	100
23.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-1222-मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	10.00	निरंक	10.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6577-आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान	318.40	निरंक	318.40	100
25.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-206-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6268-यू.आई.डी.ए. के लिये प्रोत्साहन (13वाँ वित्त आयोग)	31.79	निरंक	31.79	100
26.	34	सामाजिक न्याय	2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5758-कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना	5.50	निरंक	5.50	100
27.	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	2705-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6648-वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकास	100.00	निरंक	100.00	100
28.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	8.00	निरंक	8.00	100
29.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3451-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6577-आयोजनागत योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान	51.26	निरंक	51.26	100
30.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454-02-796-206-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-6268-यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (13वाँ वित्त आयोग)	10.60	निरंक	10.60	100

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	15-सहकारिता विभाग-6425-796-106-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-7827-अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	15.95	निरंक	15.95	100
32.	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-796-337-1502-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-0948-केन्द्रीय सड़क निधि	10.00	निरंक	10.00	100
33.	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6708-ए.आई.बी.पी. योजनाएं	20.00	निरंक	20.00	100
34.	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6399-इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-1)	25.00	निरंक	25.00	100
35.	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6403-इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-1) का हिस्सा एन.एच.डी.सी. को भुगतान	27.00	निरंक	27.00	100
36.	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6942-ओंकारेश्वर नहर शीर्ष विद्युत गृह	5.00	निरंक	5.00	100
37.	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58- ग्रामीण विकास विभाग 2501-06-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6487-इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल हेबिटेड	22.68	निरंक	22.68	100
38.	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6442-अटल बाल आरोग्य मिशन	15.00	निरंक	15.00	100
39.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-102-8874-सूखा राहत एवं रोजगार के लिए अतिरिक्त प्रावधान	50.00	निरंक	50.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6109-जल संरचनाओं का सुधार, पुनरूद्धार एवं पुनर्भरण	6.30	निरंक	6.30	100
41.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6109-जल संरचनाओं का सुधार, पुनरूद्धार एवं पुनर्भरण	24.48	निरंक	24.48	100
42.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-9186-खेत तालाब योजना	6.02	निरंक	6.02	100
43.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6080-भण्डार एवं विपणन	47.45	निरंक	47.45	100
44.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6080-भण्डार एवं विपणन	169.24	निरंक	169.24	100
45.	63	अल्प संख्यक कल्याण	2225-03-800-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-5617-अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	8.00	निरंक	8.00	100
46.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जाति उपयोजना-6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	6.40	निरंक	6.40	100
47.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3451-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6577-आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान	84.95	निरंक	84.95	100

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454-02-789-206-1303- केन्द्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6268- यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन(13वाँ वित्त आयोग)	7.55	निरंक	7.55	100
49.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	15-सहकारिता विभाग 6425-789-106-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना- 7827-अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक	11.90	निरंक	11.90	100
50.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5534- परिवहन	5.90	निरंक	5.90	100
51.	69	सूचना प्रौद्योगिकी	3425-60-600-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6873-राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान	10.76	निरंक	10.76	100
52.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501-06-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6487- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल हेबिटेट	78.94	निरंक	78.94	100
53.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 6364-बी.पी.एल. सर्वे	12.00	निरंक	12.00	100
54.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के विरुद्ध अनुदान	20.62	निरंक	20.62	100
55.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6982- एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	6.00	निरंक	6.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-80-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6607-शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना हेतु अनुदान	50.00	निरंक	50.00	100
57.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6062-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिए विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	10.00	निरंक	10.00	100
58.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6063-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	10.00	निरंक	10.00	100
59.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	25.60	निरंक	25.60	100
योग				6873.50		6873.50	

परिशिष्ट - 2.3

पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है
(संदर्भ कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग की संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि	लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा की गई चर्चा की स्थिति
1	2	3	4	5
1997-1998	10 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत):7,20,24, 27,58, 67 पूंजीगत (दत्तमत):20,21,61,69 राजस्व (प्रभारित): ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा,31,67	302.79	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।
1998-1999	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत):62	0.10	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।
1999-2000	11 अनुदान 06 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 14,27,44,50,59 पूंजीगत (दत्तमत): 3,23,60,69,75,89 राजस्व (प्रभारित): 6,23,24,30 पूंजीगत (प्रभारित): लोक ऋण, 21	1584.94	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।
2000-2001	03 अनुदान 04 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 2,70 पूंजीगत (दत्तमत) : 88 राजस्व (प्रभारित) : 24 पूंजीगत (प्रभारित): लोक ऋण, 21,23	265.07	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।
2002-2003	03 अनुदान 05 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24,53,67 राजस्व (प्रभारित): 44,67 पूंजीगत(प्रभारित): लोक ऋण, 21,23	424.79	अनुदान संख्या 53 के संदर्भ में ₹ 31,000 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।
2003-2004	04 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 68,84 पूंजीगत (दत्तमत): 35,94 राजस्व (प्रभारित): 20,67 पूंजीगत (प्रभारित): 23	2.54	अनुदान संख्या 68 के संदर्भ में ₹ 1,23,66,250 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।
2004-2005	13 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,59,67,92,94 पूंजीगत (दत्तमत): 6,19,30,59, 66,78,84,86 राजस्व (प्रभारित): 67 पूंजीगत (प्रभारित): 45	83.66	अनुदान संख्या 84 एवं 86 के संदर्भ में ₹ 4,08,87,394 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।
2005-2006	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,67 पूंजीगत(दत्तमत) : 6,39 पूंजीगत(प्रभारित): 21,45	37.58	अनुदान संख्या 39 के संदर्भ में ₹ 2,26,58,105 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।

1	2	3	4	5
2006-2007	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,67 पूँजीगत(प्रभारित) : 24	35.99	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।
2008-2009	02 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 62 पूँजीगत(दत्तमत) : 43 राजस्व (प्रभारित) : 24 पूँजीगत (प्रभारित): 24	5.80	अनुदान संख्या 62 एवं 24 (दोनों प्रभारित) के संदर्भ में ₹ 4.18 करोड़ को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।
2009-2010	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 3, 27, 32, 49	123.96	अनुदान संख्या 27 एवं 49 के संदर्भ में ₹ 36.35 करोड़ को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है।
2010-2011	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित) : 23 पूँजीगत(प्रभारित): 24	12.62	लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये है।
योग	57 अनुदान एवं 30 विनियोग		2879.84	

परिशिष्ट - 2.4

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा इससे अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6
क - राजस्व (दत्तमत)					
1.	01- सामान्य प्रशासन	231.93	214.74	17.19	20.84
2.	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	34.08	34.05	0.03	1.76
3.	03- पुलिस	2485.29	2365.47	119.82	73.20
4.	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	18.08	16.14	1.94	2.84
5.	06- वित्त	6503.67	4543.60	1960.07	6.14
6.	08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	849.64	689.30	160.34	32.80
7.	09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	48.27	33.32	14.95	1.23
8.	10- वन	1207.29	1088.53	118.76	75.75
9.	15- अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1079.01	913.49	165.52	10.94
10.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	359.28	300.93	58.35	3.78
11.	21- आवास एवं पर्यावरण	100.68	96.05	4.63	4.78
12.	22- नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	106.63	92.72	13.91	4.89
13.	23- जल संसाधन	635.97	576.81	59.16	19.22
14.	26- संस्कृति	94.34	94.06	0.28	12.35
15.	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4133.72	3856.31	277.41	316.71
16.	29- विधि और विधायी कार्य	561.12	549.13	11.99	125.83
17.	31- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	456.97	72.92	384.05	2.33
18.	34- सामाजिक न्याय	125.78	98.84	26.94	10.80
19.	38- आयुष	245.02	169.45	75.57	0.51
20.	40- जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	12.43	2.78	9.65	100.00
21.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2186.91	2069.37	117.54	169.63
22.	44- उच्च शिक्षा	879.38	717.08	162.30	0.81
23.	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	80.95	79.82	1.13	4.50
24.	50- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	188.72	177.08	11.64	7.90

1	2	3	4	5	6
25.	53- अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	64.80	59.72	5.08	7.95
26.	56- ग्रामोद्योग	83.10	81.37	1.73	0.52
27.	61- बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	139.23	78.45	60.78	9.58
28.	63- अल्प संख्यक कल्याण	44.46	37.88	6.58	11.75
29.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	1555.07	1434.99	120.08	134.97
30.	65- विमानन	16.17	15.02	1.15	3.52
31.	68- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	63.07	47.99	15.08	1.62
32.	69- सूचना प्रौद्योगिकी	28.92	20.56	8.36	2.40
33.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	56.36	52.27	4.09	7.34
34.	73- चिकित्सा शिक्षा	272.13	270.44	1.69	21.08
35.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4465.36	4198.90	266.46	275.21
36.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3420.22	3402.64	17.58	278.32
37.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1264.20	1053.24	210.96	111.44
योग (क)		34098.25	29605.46	4492.79	1875.24
ख - पूंजीगत (दत्तमत)					
38.	03- पुलिस	53.80	34.88	18.92	18.54
39.	06- वित्त	1518.30	116.52	1401.78	100.00
40.	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	178.85	178.65	0.20	38.98
41.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	62.10	21.90	40.20	51.05
42.	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1275.77	1199.07	76.70	207.00
43.	26- संस्कृति	1.89	1.89	-	2.50
44.	42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	339.05	276.45	62.60	75.02
45.	48- नर्मदा घाटी विकास	759.70	700.85	58.85	5.32
46.	60- जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	163.69	163.00	0.69	1.60

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6
47.	61- बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	599.18	360.88	238.30	20.00
48.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	98.11	67.22	30.89	10.50
योग (ख)		5050.44	3121.31	1929.13	530.51
ग - राजस्व - प्रभारित					
49.	ब्याज भुगतान-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5342.18	5284.59	57.59	226.13
50.	01-सामान्य प्रशासन	16.19	13.32	2.87	2.27
51.	29-विधि और विधायी कार्य	63.26	50.34	12.92	1.78
योग (ग)		5421.63	5348.25	73.38	230.18
महायोग (क+ख+ग)		44570.32	38075.02	6495.30	2635.93

परिशिष्ट - 2.5
वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए
(संदर्भ कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
क - राजस्व (दत्तमत)					
1.	07- वाणिज्यिक कर	1308.53	178.54	1376.12	110.95
2.	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	153.02	59.93	203.89	9.06
3.	12- ऊर्जा	1588.45	382.47	1964.31	6.61
4.	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	865.12	183.66	896.42	152.36
5.	14- पशुपालन	460.98	44.53	461.22	44.29
6.	16- मछली पालन	46.05	14.53	47.54	13.04
7.	17- सहकारिता	223.36	234.13	422.14	35.35
8.	18- श्रम	63.82	36.05	91.44	8.43
9.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1719.84	80.56	1724.56	75.84
10.	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	679.60	240.62	813.54	106.68
11.	25- खनिज साधन	20.95	4.63	21.15	4.43
12.	30- ग्रामीण विकास	314.69	50.56	330.32	34.93
13.	32- जनसंपर्क	116.39	25.25	139.06	2.58
14.	37- पर्यटन	22.54	9.65	31.91	0.28
15.	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	752.92	403.46	1142.91	13.47
16.	43- खेल और युवक कल्याण	36.80	28.11	59.91	5.00
17.	47- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	274.68	39.79	284.66	29.81
18.	49- अनुसूचित जाति कल्याण	60.58	1.31	60.81	1.08
19.	52- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1407.66	315.43	1481.59	241.50
20.	55- महिला एवं बाल विकास	1498.02	591.39	2048.91	40.50
21.	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	819.16	250.23	907.88	161.51
22.	66- पिछड़ा वर्ग कल्याण	398.98	106.40	499.09	6.29

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6
23.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	364.53	56.87	365.26	56.14
24.	70-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3.70	3.73	6.76	0.67
	कुल (क)	13200.37	3341.83	15381.40	1160.80
ख - पूंजीगत (वत्तमत)					
25.	01- सामान्य प्रशासन	10.40	9.39	11.52	8.27
26.	05- जेल	0.25	9.65	9.08	0.82
27.	08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	25.91	4.13	29.51	0.53
28.	12- ऊर्जा	1743.44	13947.26	15505.40	185.30
29.	17- सहकारिता	46.25	305.05	329.15	22.15
30.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	403.44	60.08	404.60	58.92
31.	23- जल संसाधन	722.78	245.15	862.17	105.76
32.	40- जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	22.57	10.51	31.60	1.48
33.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1489.25	268.43	1587.02	170.66
34.	43- खेल और युवक कल्याण	15.31	12.81	26.85	1.27
35.	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	308.79	245.00	490.95	62.84
36.	55- महिला एवं बाल विकास	66.30	15.04	66.34	15.00
37.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	927.79	277.38	971.87	233.30
38.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	4.30	4.36	6.42	2.24
39.	73- चिकित्सा शिक्षा	18.93	12.86	30.98	0.81
	कुल (ख)	5805.71	15427.10	20363.46	869.35
ग - राजस्व (प्रभारित)					
40.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	74.15	126.65	140.15	60.65
	कुल (ग)	74.15	126.65	140.15	60.65
घ - पूंजीगत (प्रभारित)					
41.	48- नर्मदा घाटी विकास	0.40	0.65	0.74	0.31
	कुल (घ)	0.40	0.65	0.74	0.31
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	19080.63	18896.23	35885.75	2091.11

अतिरिक्त आवश्यकता :- वास्तविक व्यय - मूल प्रावधान= 35885.75-19080.63=16805.12

परिशिष्ट - 2.6
विभिन्न अनुदान/ विनियोग जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ का विवरण पत्र
(संदर्भ कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व (दत्तमत्)							
1.	33	आदिम जाति कल्याण	939.48	4.13	943.61	954.49	10.88
योग			939.48	4.13	943.61	954.49	10.88

परिशिष्ट - 2.7
निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन/समर्पण
(संदर्भ कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+) बचत (-)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-6904-हुडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज	(+) 1.68	(-) 4.92	100
2.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-3752-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज	(+) 0.39	(-) 7.88	100
3.	03	पुलिस	2055-114-4155-बेतार केंद्र भोपाल/ ग्वालियर	(+) 0.34	(-) 7.05	100
4.	03	पुलिस	2055-001-3680-राज्य मुख्यालय	(+) 4.75	(-) 3.25	68.42
5.	10	वन	2406-01-001-3555-मुख्यालय	(+) 2.27	(-) 5.37	100
6.	10	वन	2406-02-110-2899-राष्ट्रीय उद्यान	(+) 0.97	(-) 4.97	100
7.	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-001-0119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	(-) 0.50	(+) 8.43	100
8.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6036-आपातकालीन चिकित्सा सेवार्य एम्बुलेंस के परिचालन व्यय हेतु अनुदान	(-) 1.04	(+) 1.07	100
9.	20	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी	2215-01-102-2219-नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुक्षण	(+) 9.49	(-) 2.50	26.34
10.	20	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी	2215-02-107-1249-प्रदेश की मलजल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुक्षण कार्य	(+) 3.46	(-) 1.26	36.42
11.	20	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी	2215-01-001-2294-निर्देशन	(+) 0.45	(-) 4.05	100
12.	23	जल संसाधन	4700-26-800-1501-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+) 2.96	(-) 9.85	100
13.	23	जल संसाधन	4701-40-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(+) 5.00	(-) 5.00	100
14.	23	जल संसाधन	4701-80-0101-3368-मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	(+) 13.65	(-) 14.65	100
15.	23	जल संसाधन	4701-80-0101-5583-सेमरी तालाब	(+) 8.80	(-) 8.80	100
16.	23	जल संसाधन	4701-80-001-0101-5594-तवा बांयी नहर प्रणाली के चार एक्वाडक्ट	(+) 1.00	(-) 1.98	100

1	2	3	4	5	6	7
17.	23	जल संसाधन	4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5595-अपर ककेटो बांध परियोजना	(+) 12.02	(-) 8.02	66.72
18.	24	लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	5054-04-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि-1222-मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	(-) 2.74	(+) 12.39	100
19.	28	राज्य विधान मण्डल	2011-02-103-4009-विधानसभा सचिवालय	(+) 1.39	(-) 1.62	100
20.	33	आदिम जाति कल्याण	2202-01-101-2773-प्राथमिक शालाएँ	(-) 0.06	(+) 12.44	100
21.	38	आयुष	2210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0461-आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण	(+) 0.10	(-) 3.80	100
22.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-5624-सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन	(+) 17.95	(-) 17.95	100
23.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-5645-अन्त्योदय अन्न योजना	(-) 17.95	(+) 17.95	100
24.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-794-0602-5211- एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम	(+) 5.77	(-) 5.42	93.93
25.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग- 4700-65-796-800-1502-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-5090-अपर वेदा परियोजना	(+) 6.75	(-) 1.86	27.56
26.	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	19-लोक निर्माण विभाग 5054-03-796-337-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-0948- केंद्रीय सड़क निधि	(-) 0.56	(+) 7.89	100
27.	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7444-गारलैंडिंग योजना	(-) 2.93	(+) 2.48	84.64
28.	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-51-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट-I एवं यूनिट-II)	(+) 2.91	(-) 5.22	100
29.	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-51-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8191-निष्पादन स्थापना (यूनिट-II)	(+) 1.03	(-) 3.47	100

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7
30.	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-9041-महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय	(-) 0.31	(+) 1.95	100
31.	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	(-) 2.44	(+) 2.73	100
32.	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-64-001-1201-6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग	(+) 1.25	(-) 1.39	100
33.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1503- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6077- नवीन लघु सिंचाई योजनाएं	(+) 16.18	(-) 8.89	54.94
34.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-03-789-103-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना-7317- ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	(+) 3.00	(-) 1.58	52.67
35.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	19-लोक निर्माण कार्य विभाग 5054-03-789-337-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना-5139- मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन	(-) 4.01	(+) 5.90	100
36.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग- 2225-01-277-0103-4717- अनुसूचित जाति छात्रावास	(-) 4.07	(+) 2.79	68.55
37.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-9142-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	(-) 0.31	(+) 2.24	100
38.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2235-60-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5859-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	(-) 0.05	(+) 0.73	100
39.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2235-02-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5859-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	(-) 0.06	(+) 2.36	100
40.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2235-02-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-9142-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	(-) 1.30	(+) 1.40	100

परिशिष्ट - 2.8
पुनर्विनियोजनों/ समर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां
(संदर्भ कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 59)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि	अनियमितताओं के विवरण
1	2	3	4	5
1.	8	11,17,20,21,31,51, 53 ,58	250.90	संस्वीकृति वित्त वर्ष 2011-12 की समाप्ति के उपरान्त जारी की गयी थी।
2.	8	1,2,8,23,36,41,55,	49.72	जहाँ से संस्वीकृति/समर्पण स्वीकृत की गयी थी वहाँ बजट प्रावधान उपलब्ध न होना।
3.	3	15,52,74	124.20	राजस्व से पूंजीगत में तथा इसका उल्टा अनियमित पुनर्विनियोजन।
4.	2	06	0.35	संस्वीकृति का पूर्ण विवरण प्राप्त न होना।
5.	2	5,34	1.17	समर्पण/पुनर्विनियोजन के योग में त्रुटि।
6.	2	13,64	7.58	समर्पण राशि के लिए स्वीकृति का दोबारा जारी होना।
7.	2	41,03	170.73	समर्पण स्वीकृति में शामिल आधिक्य के लिए पुनर्विनियोजन का अलग से स्वीकृति जारी न करना।
8.	1	26	0.06	वित्त विभाग के सहमति के बिना वेतन से पुनर्विनियोजन
योग	28	26	604.71	

परिशिष्ट - 2.9
वर्ष के दौरान किये गये सारभूत समर्पणों की समीक्षा के परिणाम
(संदर्भ कंडिका 2.3.10; पृष्ठ 59)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान की संख्या तथा नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	समर्पण की राशि (₹ करोड़ में)	समर्पण का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	06-वित्त	2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5631- वित्तीय समावेशन हेतु अधोसंरचना विकास	2.00	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2012)				
2.	06-वित्त	2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5652- मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष योजना	5.00	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2012)				
3.	06-वित्त	6801-800-6443- अधोसंरचना विकास के लिए ऋण	1400.00	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2012)				
4.	07-वाणिज्यिक कर	2045-101-5886- छविगृह इकाईयों का निराकरण	1.60	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।				
5.	17-सहकारिता	6425-106-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7827- म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान	22.15	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण कृषकों के ऋण के परिवर्तन हेतु सहकारी बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।				
6.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-6623- बेटा बचाओ अभियान	1.72	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2012)				
7.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6636- प्रदेश में खारापानी प्रभावित ग्रामों के लिए पेयजल व्यवस्था	2.50	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2012)				
8.	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	2217-05-191-6583- अग्निशमन सेवाओं हेतु नगरीय निकायों को अनुदान	1.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण वेतन, भत्ते एवं मानदेय का भुगतान न होने के कारण हुई।				
9.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6577- आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान	318.40	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण, 2011-12 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक अनुमानों में विभिन्न राज्य योजना में पर्याप्त प्रावधान दिये जाने के कारण हुई।				

1	2	3	4	5
10.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-206-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6268- यूनिट नम्बर आइडेनटिफिकेशन एजेन्सी के लिए प्रोत्साहन (13 वां वित्त आयोग)	31.79	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण आधार कार्ड योजना के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मांग प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हुई।				
11.	34-सामाजिक न्याय	2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5758- कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना	5.50	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
12.	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय- आयाकट	2705-205-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6544- सिचाई समितियों को अनुदान	1.44	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण किसानों द्वारा अंशदान की राशि जमा न कराये जाने के कारण हुई।				
13.	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय- आयाकट	2705-207-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6305- सिचाई सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान	1.26	100
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
14.	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय- आयाकट	2705-800-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6648- वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकास	100.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।				
15.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	8.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				
16.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3451-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6577- आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान	51.26	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
17.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454-02-796-206-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-6268-यू.आई.डी.ए.के. लिये प्रोत्साहन (13 वां वित्त आयोग)	10.60	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
18.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-800-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-6902-जनश्री जीवन बीमा योजना	2.00	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5
19.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	26- समाजिक न्याय विभाग 2235-60-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5758- कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना	2.00	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
20.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	15-सहकारिता विभाग 6425-796-106-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 7827- म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान	15.95	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण सहकारी बैंक से कृषकों के ऋण के परिवर्तन के लिये प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।				
21.	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6412- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में आई.टी.आई. एवं स्किल डेवलपमेंट केन्द्र की स्थापना	1.90	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
22.	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-4326- सघन फलोद्यान विकास योजना	1.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण योजना अनुमोदन नहीं होने के कारण हुई।				
23.	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6498- उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना	1.00	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
24.	55- महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	15.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण द्वितीय अनुपूरक बजट में लाइली लक्ष्मी योजना के लिए प्रावधान किये जाने के कारण हुई।				
25.	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6109- जल संरचनाओं का सुधार पुनरुद्धार एवं पुनर्भरण	6.30	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				
26.	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-9186- खेत तालाब योजना	2.20	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				

1	2	3	4	5
27.	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6109- जल संरचनाओं का सुधार पुनरुद्धार एवं पुनर्भरण	24.48	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				
28.	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-9186-खेत तालाब योजना	6.02	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				
29.	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6080- भण्डार एवं विपणन	47.45	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से जारी राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।				
30.	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6080- भण्डार एवं विपणन	169.24	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।				
31.	63-अल्प संख्यक कल्याण	2225-03-800-0801-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-5617- अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	8.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।				
32.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-789-109-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 6918- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	6.40	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				
33.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3451-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6577- आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान	84.95	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण राज्य की विभिन्न योजनाओं में अनुपूरक अनुदान में पर्याप्त प्रावधान किये जाने के कारण हुई।				
34.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454-02-789-206-1303-केन्द्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6268- यू.आई.डी.ए.के. लिये प्रोत्साहन (13 वां वित्त आयोग)	7.55	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण राज्य की विभिन्न योजनाओं में अनुपूरक अनुदान में पर्याप्त प्रावधान किये जाने के कारण हुई।				

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5
35.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	26- सामाजिक न्याय विभाग 2235-60-789-800-0103- (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5758- कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना	2.50	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
36.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	15-सहकारिता विभाग 6425-789-106-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-7827- म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान	11.90	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण सहकारी बैंक से कृषकों के ऋण के परिवर्तन के लिये प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।				
37.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 4225-01-789-800-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)-1400- आश्रम तथा छात्रावास भवन	3.56	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।				
38.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	17- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-06-789-003-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना- 4224- शिक्षा और प्रशिक्षण	1.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण हुई।				
39.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 4225-01-789-800-0803- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5635- बाबू जगजीवन राम छात्रावास	3.56	100
कारण सूचित नहीं किये गये है। (अगस्त 2012)				
40.	67- लोक निर्माण कार्य- भवन	4059-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5534- परिवहन	5.90	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण संबंधित विभाग द्वारा कार्य स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण हुई।				
41.	68- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-796-192-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	2.30	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।				
42.	69-सूचना प्रौद्योगिकी	3425-60-600-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6873- राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स प्लान	10.76	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।				

1	2	3	4	5
43.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2215-01-102-2219- नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	1.06	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2012)				
44.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2215-800-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना- 6364- बी.पी.एल. सर्वे	12.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।				
45.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6982- एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	6.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।				
46.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-6552- 13 वें वित्त आयोग अनुशंसा अनुसार विशेष क्षेत्र अनुपालन अनुदान	1.32	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधियों के अनुसार निधियों के आहरण होने के कारण हुई।				
47.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-80-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6607- शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना हेतु अनुदान	50.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण वित्त विभाग से आवंटन प्राप्त न होने के कारण हुई।				
48.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6062- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिये विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	10.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण नगरीय निकायों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के कारण हुई।				
49.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6063- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	10.00	100
सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण नगरीय निकायों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के कारण हुई।				
50.	76- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-60-600-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 3220- म.प्र. ऊर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान	1.15	100
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2012)				
51.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6918- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	25.60	100
कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2012)				
योग			2524.27	

परिशिष्ट - 2.10

(क) वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ एक करोड़ या इससे अधिक)
(संदर्भ कंडिका 2.3.11; पृष्ठ 59 व 60)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	समर्पित राशि	अधिक समर्पण की राशि
1	2	3	4	5	6
राजस्व (दत्तमत)					
1.	01- सामान्य प्रशासन	252.77	38.03	39.90	1.87
2.	12- ऊर्जा	1970.92	6.62	7.26	0.64
3.	40- जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	112.43	109.64	109.69	0.05
4.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	108.61	41.39	43.62	2.23
5.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	63.70	11.42	11.54	0.12
	योग	2508.43	207.10	212.01	4.91

(ख) आधिक्य के उपरांत प्रावधान का समर्पण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	कुल अनुदान/विनियोग	आधिक्य	समर्पित राशि
1	2	3	4	5
राजस्व (दत्तमत)				
1.	33- आदिम जाति कल्याण	943.61	10.87	0.76
	योग	943.61	10.87	0.76

परिशिष्ट - 2.11

विभिन्न अनुदान / विनियोगों का विवरण पत्र जिनमें बचत हुई है परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया है

(संदर्भ कांडिका 2.3.12; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	अनुदान/विनियोग संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
1	2	3	4
I-अनुदान			
राजस्व (दत्तमत)			
1.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	62.13
2.	21	आवास एवं पर्यावरण	9.42
3.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	106.69
4.	26	संस्कृति	12.63
5.	38	आयुष	76.08
6.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	13.47
7.	43	खेल और युवक कल्याण	5.00
8.	49	अनुसूचित जाति कल्याण	1.08
9.	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	3.28
10.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	161.51
11.	62	पंचायत	12.54
12.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	56.14
13.	73	चिकित्सा शिक्षा	22.77
पूँजीगत (दत्तमत)			
14.	26	संस्कृति	2.50
15.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2.69
16.	43	खेल और युवक कल्याण	1.27
17.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50
18.	73	चिकित्सा शिक्षा	0.81
II-विनियोग			
राजस्व (प्रभारित)			
19.	10	वन	12.09
20.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.24
21.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	0.30
22.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	9.81
23.	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	0.24
24.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2.05
25.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	0.26
पूँजीगत (प्रभारित)			
26.	लोक ऋण	लोक ऋण	3650.31
27.	48	नर्मदा घाटी विकास	0.32
योग			4228.13

परिशिष्ट - 2.12

₹ एक करोड़ तथा इससे अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों के विवरण
(परिशिष्ट - 2.11 में दिये गये प्रकरणों को छोड़कर)
(संदर्भ कंडिका 2.3.12; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	समर्पण	बचत जो समर्पण की जाने से रह गई
1	2	3	4	5
राजस्व (प्रभारित)				
1.	ब्याज भुगतान-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	283.72	0.06	283.66
2.	01-सामान्य प्रशासन	5.14	0.73	4.41
3.	06-वित्त	14.23	0.003	14.227
4.	29-विधि और विधायी कार्य	14.69	12.22	2.47
राजस्व (दत्तमत)				
5.	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	1.79	0.79	1.00
6.	03-पुलिस	193.02	32.20	160.82
7.	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	4.78	2.57	2.21
8.	05-जेल	3.06	2.02	1.04
9.	06-वित्त	1966.21	53.66	1912.55
10.	07-वाणिज्यिक कर	110.95	76.71	34.24
11.	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	193.14	189.47	3.67
12.	10-वन	194.52	8.05	186.47
13.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	9.07	0.69	8.38
14.	14-पशुपालन	44.30	43.18	1.12
15.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	176.45	144.19	32.26
16.	16-मछली पालन	13.04	1.43	11.61
17.	18-श्रम	8.42	6.72	1.70
18.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	75.84	68.88	6.96
19.	23-जल संसाधन	78.39	4.67	73.72
20.	25-खनिज साधन	4.44	3.22	1.22
21.	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	594.12	13.18	580.94
22.	28-राज्य विधान मंडल	6.68	2.45	4.23
23.	29-विधि और विधायी कार्य	137.82	98.78	39.04
24.	30-ग्रामीण विकास	34.93	1.95	32.98
25.	32-जनसंपर्क	2.58	1.03	1.55
26.	34-सामाजिक न्याय	37.74	32.40	5.34
27.	36-परिवहन	11.00	8.07	2.93

1	2	3	4	5
28.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	287.16	239.00	48.16
29.	44-उच्च शिक्षा	163.11	134.48	28.63
30.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	5.63	4.53	1.10
31.	47- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	29.81	27.49	2.32
32.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	241.50	173.94	67.56
33.	55-महिला एवं बाल विकास	40.50	36.08	4.42
34.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	255.06	245.59	9.47
35.	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	6.29	2.77	3.52
36.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	541.67	225.26	316.41
37.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	295.90	263.17	32.73
38.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	322.39	101.99	220.40
पूँजीगत (दत्तमत)				
39.	01-सामान्य प्रशासन	8.28	1.50	6.78
40.	06-वित्त	1501.78	1404.68	97.10
41.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	39.18	0.0011	39.179
42.	12-ऊर्जा	185.30	184.08	1.22
43.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	91.25	79.25	12.00
44.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	58.92	3.90	55.02
45.	23-जल संसाधन	105.76	2.90	102.86
46.	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	283.70	281.93	1.77
47.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	170.65	140.96	29.69
48.	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	137.61	133.78	3.83
49.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	62.84	1.91	60.93
50.	48-नर्मदा घाटी विकास	64.17	28.74	35.43
51.	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	142.06	36.08	105.98
52.	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	258.29	229.29	29.00
53.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	233.31	207.42	25.89
योग		9752.19	5000.04	4752.15

परिशिष्ट - 2.13
30 एवं 31 मार्च 2012 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण
(संदर्भ कंडिका 2.3.12; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	समर्पण की राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	03	2055	2435.90	19.06	0.78
2.	03	2070	120.60	13.15	10.90
3.	03	4055	67.84	34.77	51.25
4.	06	2052	56.08	10.49	18.71
5.	06	2075	39.45	28.78	72.95
6.	06	6801	1400.00	1400.00	100.00
7.	07	2039	1082.18	50.03	4.62
8.	07	2040	150.26	24.82	16.52
9.	08	2029	503.21	132.59	26.35
10.	08	2053	376.28	56.85	15.11
11.	12	6801	15151.12	184.08	1.21
12.	13	2401	994.28	116.27	11.69
13.	14	2403	505.79	43.18	8.54
14.	15	2501	211.87	55.33	26.12
15.	15	2505	115.42	29.46	25.52
16.	15	2515	301.51	39.93	13.24
17.	17	2425	457.49	35.20	7.69
18.	19	2210	1445.28	30.60	2.12
19.	19	2211	352.08	38.28	10.87
20.	19	4210	113.15	79.25	70.04
21.	24	5054	1568.17	277.65	17.71
22.	27	2202	4450.66	13.18	0.30
23.	29	2014	545.91	83.28	15.26
24.	29	2015	87.43	27.27	31.19
25.	31	3451	348.01	10.27	2.95
26.	31	3454	111.31	57.62	51.77
27.	40	2705	112.43	109.69	97.56
28.	41	2202	655.02	12.03	1.84
29.	41	2225	385.84	36.59	9.48
30.	41	2235	259.56	29.06	11.20
31.	41	2401	230.08	33.73	14.66
32.	41	3454	10.60	10.60	100.00
33.	41	4210	82.23	45.00	54.72
34.	41	4215	126.96	30.12	23.72
35.	41	4701	254.52	31.58	12.41
36.	42	5054	414.07	133.78	32.31
37.	52	2501	270.73	39.95	14.76
38.	52	2505	200.18	49.50	24.73
39.	52	2515	369.61	62.43	16.89
40.	53	2215	72.75	10.93	15.02
41.	55	2235	1401.78	34.80	2.48

1	2	3	4	5	6
42.	55	4235	81.34	15.00	18.44
43.	57	4700	358.28	36.08	10.07
44.	61	2403	61.18	31.36	51.26
45.	61	2515	39.00	39.00	100
46.	61	4702	146.24	10.72	7.33
47.	67	4059	65.46	18.83	28.77
48.	67	4210	15.65	11.41	72.91
49.	77	2202	1336.01	97.47	7.30
50.	76	2810	28.39	15.16	53.40
51.	09	2058	49.49	16.00	32.33
52.	34	2235	136.61	16.99	12.44
53.	44	2202	880.50	134.48	15.27
54.	47	2230	133.78	19.50	14.58
55.	48	4700	543.10	13.64	2.51
56.	48	4801	213.02	15.10	7.09
57.	50	2401	196.65	19.19	9.76
58.	63	2225	56.21	18.33	32.61
59.	68	2215	64.69	16.69	25.80
60.	69	3425	31.32	10.76	34.36
61.	74	2501	483.61	57.06	11.80
62.	74	2202	1696.63	44.21	2.61
63.	74	2515	991.57	57.84	5.83
64.	74	2505	179.40	37.68	21.00
65.	75	2217	872.28	214.80	24.63
66.	75	3604	2494.98	89.95	3.61
67.	64	2225	341.08	24.53	7.19
68.	64	2401	179.73	36.06	20.06
69.	64	4210	87.74	36.25	41.32
70.	64	4215	153.56	28.65	18.66
71.	64	5054	252.86	115.89	45.83
72.	64	6425	11.90	11.90	100
योग			50019.90	4871.71	9.74

परिशिष्ट - 2.14
व्यय की अधिकता
(संदर्भ कंडिका 2.3.13; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी-मार्च 2012 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2012 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2012	मार्च 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	03-पुलिस	2643	35.24	33.19	37.00	95.24	89.70
2.	03-पुलिस	6065	11.75	11.21	13.16	89.28	85.18
3.	06-वित्त	5614	20.00	20.00	20.00	100	100
4.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7880	164.72	150.79	209.00	78.81	72.15
5.	12-ऊर्जा	3218	305.00	305.00	305.00	100	100
6.	12-ऊर्जा	5607	134.10	134.10	207.00	64.78	64.78
7.	12-ऊर्जा	6326	20.00	20.00	20.00	100	100
8.	12-ऊर्जा	6659	10256.93	10256.93	10256.93	100	100
9.	12-ऊर्जा	6660	1300.17	1300.17	1300.17	100	100
10.	12-ऊर्जा	6661	454.28	454.28	454.28	100	100
11.	12-ऊर्जा	7900	190.86	176.56	273.78	69.71	64.49
12.	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	6366	35.01	35.01	35.01	100	100
13.	14-पशुपालन	6295	13.24	13.24	13.58	97.50	97.50
14.	14-पशुपालन	7155	13.08	13.08	18.51	70.66	70.66
15.	17-सहकारिता	6934	103.17	103.17	103.46	99.72	99.72
16.	17-सहकारिता	9254	140.67	140.67	240.34	58.53	58.53
17.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6229	12.16	12.16	14.33	84.86	84.86
18.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6624	22.50	22.50	22.50	100	100
19.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6032	25.33	20.32	29.67	85.37	68.49
20.	23-जल संसाधन	5595	67.00	55.69	69.00	97.10	80.71
21.	25-खनिज साधन	6606	607.55	607.55	607.55	100	100
22.	26-संस्कृति	6464	34.87	34.87	36.69	95.04	95.04
23.	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6344	10.41	10.35	10.41	100	99.42
24.	29-विधि एवं विधायी कार्य	6269	121.36	121.29	124.29	97.64	97.59
25.	30-ग्रामीण विकास	6613	60.00	60.00	60.00	100	100
26.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	6267	16.00	16.00	16.00	100	100
27.	32-जनसंपर्क	3956	26.83	24.67	48.45	55.38	50.92
28.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3229	11.59	11.59	11.59	100	100
29.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3248	13.38	13.38	13.38	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	5290	15.18	15.18	15.18	100	100
31.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	0570	11.00	10.75	11.00	100	97.73
32.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5056	12.95	12.87	19.61	66.04	65.63
33.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5211	72.92	72.70	134.07	54.39	54.22
34.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5523	63.15	63.15	100.00	63.15	63.15
35.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6005	16.35	16.35	16.35	100	100
36.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7895	32.29	32.29	32.31	99.94	99.94
37.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	8799	12.73	11.57	21.00	60.62	55.10
38.	47- तकनिकी शिक्षा एवं कौशल विकास	5885	10.70	10.70	10.70	100	100
39.	48- नर्मदा घाटी विकास	9091	50.44	46.14	60.62	83.21	76.11
40.	50- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	5626	14.05	14.05	24.86	56.52	56.52
41.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6084	29.14	26.18	42.84	68.02	61.11
42.	61- बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	5584	43.68	43.61	50.00	87.36	87.22
43.	61- बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6080	63.70	63.70	63.70	100	100
44.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	5056	23.94	23.34	30.42	78.70	76.72
45.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	5523	124.10	124.10	165.20	75.12	75.12
46.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	6007	12.96	12.96	14.56	89.01	89.01
47.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	6484	14.12	14.12	14.12	100	100
48.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	7895	13.37	13.37	13.39	99.85	99.85
49.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4610	107.36	102.19	124.76	86.05	81.91
50.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6226	19.23	19.23	30.51	63.03	63.03
51.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6244	319.68	319.68	557.56	57.33	57.33
52.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6299	206.91	186.79	262.25	78.90	71.23
53.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5126	25.42	21.33	42.20	60.24	50.54
54.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6221	65.75	65.75	94.03	69.92	69.92
55.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6297	71.30	71.30	71.30	100	100
56.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6551	30.03	30.03	30.03	100	100
57.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	6007	20.21	20.21	23.31	86.70	86.70

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	पी.डी.-लोक ऋण	6962	91.11	88.52	167.69	54.33	52.79
59.	पी.डी.-लोक ऋण	7105	129.07	129.07	129.07	100	100
60.	ब्याज भुगतान-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6880	29.68	29.68	29.68	100	100
योग			15979.72	15888.68	16973.40	94.14	93.61

परिशिष्ट - 2.15
केन्द्रीय योजनाओं से संबंधित राशि का 8443- सिविल जमा 800- अन्य जमा में अंतरण दिखाये
जाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भ कंडिका 2.3.13; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरे वार शीर्ष तक लेखे का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान (मूल+ पूरक)	विभाग का नाम	8443- सिविल जमा 800- अन्य जमा में अंतरित राशि
1	2	3	4	5	6
1	03-पुलिस	4055-800-0701-6631-नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस थानों के निर्माण / सुदृढीकरण	4.45	4.45	4.45
2	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1301-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13 वां वित्त आयोग)	40.65	6.10	1.22
3	26-संस्कृति	2205-800-1301-6464-स्मारको /संग्रहालयों का अनुक्षण एवं विकास आदि कार्य	43.75	36.69	34.87
4	29-विधि और विधायी कार्य	2014-105-1301-6269-न्याय व्यवस्था में सुधार (13 वां वित्त आयोग)	158.04	124.29	121.24
5	37-पर्यटन	5452-01-101-0701-7630-अधोसंरचना का निर्माण (केन्द्रांश)	25.00	25.00	3.09
6	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6559-प्रदेश में बुद्धिष्ठ परिपथ का विकास	1.00	1.00	1.00
7	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6560-धार्मिक पर्यटन का विकास	3.00	3.00	2.00
8	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6561-जैन परिपथ का विकास	3.00	3.00	1.00
9	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6563-हैरिटेज पर्यटन का विकास	4.00	4.00	4.00
10	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6567-पहुंच मार्गों एवं आन्तरिक मार्गों का उन्नयन	7.00	7.00	4.00
11	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6570-सांख्यिकी प्रकोष्ठ का विकास	0.50	0.50	0.50
12	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6571-मेला एवं उत्सव	1.50	1.50	1.50
13	37-पर्यटन	5452-01-190-1301-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	1.00	1.00	0.50
14	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2203-796-105-0702-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	3.12	2.96	2.94
15	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (महिला एवं बाल विकास विभाग)	2236-02-796-101-0702-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	200.70	198.94	0.89
16	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग)	3451-796-101-1302-6267-जिला नवाचार कोष	5.25	5.25	5.25
17	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-01-796-110-1302-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13 वां वित्त आयोग)	12.50	4.93	2.53

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6
18	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203-105-0701-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	22.38	18.05	15.20
19	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0701-6640-विश्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना	0.65	0.65	0.65
20	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	4202-02-104-0701-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	19.56	19.56	6.30
21	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	4202-03-003-0701-6640-विश्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना	0.65	0.65	0.65
22	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	611.36	611.64	182.25
23	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	4.13	4.09	3.06
24	55- महिला एवं बाल विकास	2236-02-101-0701-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	566.70	564.93	2.18
25	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4701-80-001-1501-5584-सिंहपुर बैराज	50.00	50.00	24.68
26	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-6077-नवीन लघु सिंचाई योजना	42.52	66.51	5.00
27	64- अनुसूचित उपयोजना (अनुसूचित जाति कल्याण विभाग)	2055-789-109-0703-5172-अनुसूचित जाति /जनजाति के थानों की स्थापना	28.61	26.07	0.34
28	64- अनुसूचित उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2203-789-105-0703-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	6.68	6.30	6.30
29	64- अनुसूचित उपयोजना (महिला एवं बाल विकास विभाग)	2236-02-789-101-0703-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	134.60	133.21	0.37
30	64- अनुसूचित उपयोजना (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	3451-789-101-1303-6267-जिला नवाचार कोष	3.75	3.75	3.75
31	64- अनुसूचित उपयोजना (अनुसूचित जाति कल्याण विभाग)	4210-01-789-110-1303-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13 वां वित्त आयोग)	9.35	2.39	0.31
32	73-चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-0701-6460-चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	8.97	8.97	4.00
योग			2024.37	1946.38	446.02

परिशिष्ट - 2.16
बिना प्रावधान के किये गये व्यय
(संदर्भ कंडिका 2.3.14; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	लेखा का शीर्ष	व्यय	कारण
1	2	3	4	5
1.	ब्याज भुगतान-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-04-109-5691- 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों पर समेकित राज्य आयोजनागत ऋण पर ब्याज	357.55	कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)
2.	पी.डी.-लोक ऋण	6003-101-5049-13.05- प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2007	0.0049	कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)
3.	पी.डी.-लोक ऋण	6003-106-5044- क्षतिपूर्ति	0.0013	कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)
4.	पी.डी.-लोक ऋण	6004-03-800-0002- विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	0.03	कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)
5.	पी.डी.-लोक ऋण	6004-03-800-0003- पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों के पुनर्स्थापन हेतु ऋण	0.49	कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)
6.	पी.डी.-लोक ऋण	6004-04-800-2253- सिविल प्रदाय योजना के लिये ऋण	0.23	कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2012)
योग			358.31	

परिशिष्ट - 2.17

(क) पूंजीगत अनुभाग से संबंधित शीर्ष 63-मशीनें एवं 64- वृहद निर्माण कार्य और 45- पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान के प्रावधान के राशि ₹ तीन करोड़ से अधिक का राजस्व अनुभाग में वर्गीकरण (संदर्भ कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 62)

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	राशि	उद्देश्य शीर्ष में वर्गीकृत
1	2	3	4	5
1	03- पुलिस	2055-101-0270- अपराध अनुसंधान विभाग	18.36	63
2	03- पुलिस	2055-109-1301-6463- पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13 वां वित्त आयोग)	4.18	63
3	03- पुलिस	2055-114-4155- बेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर	6.25	63
4	06- वित्त	2054-095-8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	47.66	63
5	07- वाणिज्यिक कर	2039-0101-8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	14.00	63
6	12- ऊर्जा	2801-05-052-1201-5114- विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत डी.एफ.आई.डी. से अनुदान	11.87	45
7	12- ऊर्जा	2801-80-800-0101-7400- सिंस्थ मेले के लिये व्यवस्था	5.25	45
8	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-113-0101-5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	28.53	63
9	14-पशुपालन	2403-800-0801-1501-5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	36.93	45
10	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-6051- चिकित्सालयों के लिये जनरेटर	9.00	63
11	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-196-1473-जिला चिकित्सालय	3.80	63
12	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-103-2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5.00	63
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-0101-6624- सोलर फोटोबोल्टेईक संयंत्रों की स्थापना	22.50	63
14	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (जनशक्ति नियोजन विभाग)	2230-03-796-003-6477- व्यवसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	3.63	63
15	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	2210-06-796-003-0102-4224- शिक्षा और प्रशिक्षण	5.00	63

1	2	3	4	5
16	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोग (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)	2215-01-102-0702-2580-ग्रामीण पेयजल योजना	52.50	64
17	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0101-6472-आई.टी.आई. का सुदृढीकरण	3.14	63
18	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0701-6951-शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थाओं में विकसित किया जाना	9.00	63
19	48- नर्मदा घाटी विकास	2402-102-0701-1580-मेक्रोमेनेजमेंट योजना	12.00	64
20	64-अनुसूचित जाति उप योजना	2210-01-800-0103-6974-सागर चिकित्सा महाविद्यालय	4.51	63
21	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	2225-03-800-0101-5512-जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माण	5.60	64
22	73-चिकित्सा शिक्षा	2210-01-110-0101-1353-चिकित्सा महाविद्यालयों तथा संबद्ध चिकित्सालय	10.97	63
23	73-चिकित्सा शिक्षा	2210-05-105-0101-4968-चिकित्सालय महाविद्यालय	4.64	63
		योग	324.32	

(ख) राजस्व अनुभाग से संबंधित शीर्ष 42-अनुदान के प्रावधान की राशि ₹ तीन करोड़ से अधिक का पूंजीगत अनुभाग में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	राशि	उद्देश्य शीर्ष में वर्गीकृत
1	2	3	4	5
1	30- ग्रामीण विकास	4515-800-0101-5853-डी.पी.आई.पी. योजनायें	5.00	42
2	30- ग्रामीण विकास	4515-800-0701-6655- मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	70.00	42
3	48- नर्मदा घाटी विकास	4701-80-001-0101-6617-नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड	5.32	42
		योग	80.32	

परिशिष्ट - 2.18
चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन सारभूत बचतें
(संदर्भ कंडिका 2.6; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	बचत (प्रतिशत)
1	2	3
		2011-12
	10- वन	
1.	2406-01-102-7680-संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय	8.05 (21.76)
2.	2406-01-102-0701-5317- गहन वन प्रबंधन	4.13 (25.18)
3.	2406-01-204-2901- बांस	7.53 (27.09)
4.	2406-02-110-0701-1594-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाईगर प्रोजेक्ट	110.56 (74.21)
5.	2406-02-110-0701-6539-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	3.54 (40.41)
6.	2406-01-797-3885-वन विकास निधि में अन्तरण (भारित)	12.00 (100)
	53- अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
7.	18-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 2217-05-789-191-0103-6981- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन	4.77 (23.28)
8.	18-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 2217-80-789-191-0703-6931- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	4.82 (21.75)
9.	18-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 6217-60-789-800-1203-7905- नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास	10.20 (33.63)
	योग	165.60

परिशिष्ट - 2.19
चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन सारभूत आधिक्य
(संदर्भ कंडिका 2.6; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स. क्र	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	आधिक्य (प्रतिशतता)
		2011-12
1	2	3
10-वन		
1.	2406-01-001-0101-2723- प्रशासन का सुदृढीकरण	3.02 (33.97)
2.	2406-01-101-0101-5830- ईको पर्यटन विकास बोर्ड को अनुदान	0.50 (50.00)
3.	3054-04-337-4349- सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरस्ती (13वें वित्त आयोग)	0.40 (20.00)
योग		3.92

परिशिष्ट - 2.20

वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए
(संदर्भ कंडिका 2.6; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान तथा योजनाओं का विवरण	मूल	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
10-वन					
1.	2406-02-110-2899- राष्ट्रीय उद्यान	45.01	9.85	50.86	4.00
2.	2406-01-001-3555- मुख्यालय	23.71	8.66	29.27	3.10
3.	2406-01-101-0812- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	575.44	53.24	591.96	36.72
योग		644.16	71.75	672.09	43.82

परिशिष्ट 3.1

मार्च 2012 की स्थिति में लंबित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागों के अनुसार
जानकारी

(संदर्भ कंडिका 3.1; पृष्ठ 67)

स.क्र.	विभागों के नाम	मुख्य शीर्ष	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5
1	राजस्व	2029	30	1.20
2	समाज कल्याण	2235	388	660.37
3	नगरीय प्रशासन	3604	13056	10406.02
4	विधानसभा सचिवालय	2011	24	1.29
5	जनसम्पर्क	2220	19	1.50
6	ग्रामीण विकास	4515,2515,2505, 2501	6061	5984.63
7	सहकारिता	6425,2425	1764	264.65
8	सिंचाई	2702	1301	18.65
9	ऊर्जा	2801,2810	1686	874.14
10	पशुपालन	2403	1253	227.25
11	आबकारी	2039	56	1.87
12	जेल	2056	19	0.02
13	महिला एवं बाल विकास	2236	849	86.43
14	पुलिस	2055	190	1.91
15	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	2250	234	17.85
16	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215,6215	2454	27.46
17	उद्योग	2851,2852	1410	445.22
18	विधि एवं विधायी कार्य	2014	67	1.53
19	आवास एवं पर्यावरण	2217	989	2467.92
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408	1607	4429.71
21	लोक निर्माण विभाग(गृह)	2216	150	214.14
22	भौमिकी एवं खनिकर्म	2853	100	214.75
23	मत्स्योद्योग	2405	98	10.83
24	पर्यटन	3452	40	65.22
25	कृषि	2401,4402	425	464.40

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5
26	श्रम	2230	548	51.56
27	सामान्य प्रशासन	2075,2052	122	86.80
28	वाणिज्यिक कर	2045	10	0.17
29	आर्थिक एवं सांख्यिकी	3454	241	58.04
30	संस्थागत वित्त	2047	4	0.02
31	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425	35	4.48
32	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211	12	0.93
33	चिकित्सा सेवाएं	2210	608	635.32
34	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग	2225	424	389.10
35	शिक्षा विभाग	2202,4202	3137	3188.67
36	खेल एवं युवा कल्याण	2204	6	7.89
37	वन	2406	988	105.79
	योग	47 मुख्य शीर्ष	40405	31417.72

परिशिष्ट 3.2

स्वायत्तशासी निकायों के लेखों की स्थिति दर्शानेवाला विवरण-पत्रक

(संदर्भ कंडिका 3.2; पृष्ठ 68)

सरल क्रमांक	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	अवधि जबतक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखों की प्रस्तुति/अप्रस्तुति लेखों के विलंब की अवधि (माह)
1	2	3	4	5	6	7
1.	म.प्र. गृहनिर्माण मंडल, भोपाल	2006-07 तक	2006-07	2006-07 तक	2003-04	--
2.	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल	2009-10 तक	2007-08	2006-07	2004-05	2007-08: (45) 2008-09: (39) 2009-10: (27)
3.	म.प्र. मानवाधिकार आयोग, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2010-11	2009-10	2008-09	2008-09: (15) 2009-10: (16) 2010-11: (09)
4.	म.प्र. भवन तथा निर्माण कार्यकर्ता कल्याण मण्डल, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा (2003-04)	(2003-04) से 2007-08	निरंक	निरंक	2003-04 से 2007-08 (84) 2008-09 से आगे (36)
5.	म.प्र. राज्य विधिक सेवा, प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (1997-98)	--	--	168
6.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	तदैव	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (1998-99)	--	--	156
7.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़वानी	तदैव	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (2006-07)	--	--	60
8.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा	तदैव	तदैव	--	--	तदैव
9.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच	तदैव	तदैव	--	--	तदैव
10.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर	तदैव	तदैव	--	--	तदैव

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7
11.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	निरंक	निरंक	156
12.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
13.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिन्ड	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
14.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
15.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छतरपुर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
16.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छिन्दवाड़ा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
17.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
18.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
19.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
20.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
21.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
22.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
23.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
24.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-

1	2	3	4	5	6	7
25.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ	संसद के अधिनियम द्वारा साँपा	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	निरंक	निरंक	156
26	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
27.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडला	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
28.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
29.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरेना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
30.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
31.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पन्ना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
32.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
33.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
34.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
35.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
36.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7
37	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	निरंक	निरंक	156
38.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
39.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
40.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
41.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
42.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
43.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
44.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
45.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
46.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
47.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सतना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	-तदैव-
48	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी	-तदैव-	2002-03 से लेखे नहीं भेजे	--	--	108

विलम्ब की अवधि, लेखा प्राप्ति की निर्धारित दिनांक अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 जून 2012 तक ली गयी है।

परिशिष्ट-3.3

दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभागवार/अवधि अनुसार विश्लेषण
(संदर्भ कंडिका 3.3; पृष्ठ 69)

क्र. सं.	विभाग का नाम	पांच वर्षों तक		पांच से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 वर्षों से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष तथा इससे अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	4	21.09	1	4.44	6	26.35	1	3.08	15	15.21	21	11.41	48	81.58
2	2211-परिवार कल्याण	निरंक	निरंक	निरंक	--	--	--	--	--	1	0.20	11	5.11	12	5.31
3	2054-कोषालय एवं लेखे (वित्त विभाग)	3	15.82	0	0.00	2	19.78	0	0.00	3	1.16	5	12.10	13	48.86
4	2014-न्याय प्रशासन	0	0.00	2	1.28	1	3.69	1	0.44	0	0.00	2	0.29	6	5.70
5	2053-जिला प्रशासन	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.40	1	0.40	3	0.81
6	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.67	0	0.00	0	0.00	1	0.67
7	2055-पुलिस	193	65.69	194	66.90	35	27.52	16	9.30	4	1.08	0	0.00	442	170.49
8	2225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	0.00	0	0.00	4	1.78	16	10.21	6	6.53	12	2.54	38	21.06
9	2235-पंचायत	0	0.00	0	0.00	1	4.04	1	0.14	1	0.10	2	2.83	5	7.11
10	2235-पुनर्वास विभाग	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.19	1	0.19
11	2235-महिला एवं बाल कल्याण	0	0.00	1	1.31	0	0.00	2	1.20	2	1.06	0	0.00	5	3.57
12	2403-पशु पालन	0	0.59	7	1.82	4	4.35	1	0.24	3	0.92	3	5.63	21	13.55

31 मार्च 2012 का समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	2202-स्कूल शिक्षा	59	2699.81	25	37.35	8	4.40	15	8.79	21	12.98	34	14.68	162	2778.01
14	2203-तकनीकी शिक्षा	12	16.62	5	9.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	26.03
15	2204-खेल एवं युवा सेवाएँ	1	0.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.45
16	2505-ग्रामीण रोजगार	0	0.00	1	0.25	0	0.00	1	13.12	0	0.00	0	0.00	2	13.37
17	2230-श्रम तथा रोजगार	7	4.13	3	0.62	1	6.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	11.51
18	2402-मृदा तथा जल संरक्षण	0	0.00	2	0.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.47	4	1.42
19	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	163	392.33	225	244.34	398	366.59	365	153.39	636	127.33	509	95.40	2296	1379.38
20	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2	43.56	1	1.33	3	1.54	2	2.99	2	0.35	1	0.02	11	49.79
21	2505-ग्रामीण रोजगार	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
22	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3	1.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.47
23	2851-ग्रामोद्योग	2	0.80	0	0.00	1	2.75	0	0.00	0	0.00	1	0.07	4	3.62
24	2852-उद्योग	0	0.00	1	1.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.03
25	जल संसाधन विभाग	1	0.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.30
26	लोक निर्माण विभाग	1	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.08
27	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
	योग	457	3262.75	468	371.03	464	469.55	422	203.57	695	167.32	605	151.14	3111	4625.36

परिशिष्ट 3.4

2011-12 के लिए अपलेखनों के प्रकरणों के विभागवार विवरण
(संदर्भ कंडिका 3.3; पृष्ठ 69 व 70)

क्रम संख्या	विभाग	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6
1.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	संयुक्त निदेशक, ग्वालियर	जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में ए.डी. फार्मों की चोरी	1	19,960.00
2.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	सिविल सर्जन, मंदसौर	श्री के.एल.शर्मा सिविल सर्जन मंदसौर द्वारा की गयी जालसाजी	1	35,326.00
3.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीहोर	वर्ष 1989-90 में दवाओं की चोरी और दोहरा आहरण	1	27,022.00
4.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	अधीक्षक एस.जे.चिकित्सालय, भोपाल	शासकीय धनराशि का गबन	1	6,642.96
5.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	प्राचार्य चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर	भण्डार में दवाओं का कम पाया जाना	1	95,815.10
6.	2055-पुलिस	महानिदेशक, पुलिस मध्य प्रदेश, भोपाल	वायरलेस सेटों की चोरी के कारण हुई हानि, वाहनों का दुर्घटनाग्रस्त आदि	19	5,68,401.00
7.	2203-तकनीकी शिक्षा	निदेशक तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश, भोपाल	चोरी होने के कारण हानि	1	46,700.00
8.	2401-फसल कृषि कर्म	निदेशक, कृषि मध्य प्रदेश, भोपाल	चोरी होने के कारण हानि	1	31,671.44
9.	2402- मृदा तथा जल संरक्षण	निदेशक, कृषि मध्य प्रदेश, भोपाल	चोरी होने के कारण हानि	1	40,487.00
10.	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वित्त एवं बजट) मध्य प्रदेश, भोपाल तथा वरिष्ठ उप महालेखाकार	हानि की वसूली न होने के कारण	26	1,00,655.00
11.	2425- सहकारिता	आयुक्त, सहकारिता मध्य प्रदेश, भोपाल	चोरी होने के कारण हानि	2	1,11,774.00
योग				55	10,84,454.50

परिशिष्ट 3.5

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि से सरकार को हुई हानि के संबंध में विभाग/संवर्ग के अनुसार विवरण

(संदर्भ कंडिका 3.3; पृष्ठ 69)

स.क्र.	विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग सरकारी सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	21	16.68	27	64.90	48	81.58
2	2211-परिवार कल्याण	0	0.00	12	5.31	12	5.31
3	2054-कोषालय एवं लेखे	4	15.93	9	32.93	13	48.86
4	2014-न्याय प्रशासन	3	0.61	3	5.09	6	5.70
5	2053-जिला प्रशासन	1	0.39	2	0.42	3	0.81
6	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0	0.00	1	0.67	1	0.67
7	2055-पुलिस	20	32.93	422	137.56	442	170.49
8	2225- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3	0.11	35	20.95	38	21.06
9	2235-पंचायत	1	1.23	4	5.88	5	7.11
10	2235-पुनर्वास	0	0.00	1	0.19	1	0.19
11	2235-पुनर्वास विभाग -महिला एवं बाल कल्याण	4	2.26	1	1.31	5	3.57
12	2403-पशुपालन	7	4.73	14	8.82	21	13.55
13	2202-स्कूल शिक्षा	76	83.30	86	2694.71	162	2778.01
14	2203-तकनीकी शिक्षा	10	10.47	7	15.56	17	26.03
15	2204-खेल एवं युवा सेवाएँ	1	0.45	0	0.00	1	0.45
16	2505-ग्रामीण रोजगार	2	13.37	0	0.00	2	13.37
17	2230-श्रम एवं रोजगार	9	4.51	2	7.00	11	11.51
18	2402- मृदा तथा जल संरक्षण	3	1.11	1	0.31	4	1.42
19	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	38	10.00	2258	1369.38	2296	1379.38
20	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	6	3.39	5	46.40	11	49.79
21	2505-ग्रामीण रोजगार	0	0.00	1	0.00	1	0.00
22	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1	1.25	2	0.22	3	1.47

1	2	3	4	5	6	7	8
23	2851- ग्रामोद्योग	1	0.20	3	3.42	4	3.62
24	2852-उद्योग	0	0.00	1	1.03	1	1.03
25	जल संसाधन विभाग	1	0.30	0	0.00	1	0.30
26	लोक निर्माण विभाग	1	0.08	0	0.00	1	0.08
27	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	1	0.00	0	0.00	1	0.00
	योग	214	203.30	2897	4422.06	3111	4625.36

परिशिष्ट 3.6

2011-12 तक के वर्षों के लंबित ब्यौरेवार आकस्मिक व्यय देयक

(संदर्भ कंडिका 3.4.1; पृष्ठ 70)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों की संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी, भोपाल	19	7.59**
2.	आयुक्त, लोक शिक्षा, भोपाल	08	4.05*
3.	उप संचालक, एन.सी.सी., मध्य प्रदेश, भोपाल	78	0.40
4.	संचालक, पिछड़ा वर्ग, भोपाल	37	0.37
5.	संचालक, कृषि विभाग, भोपाल	529	6.46
6.	भूमि संरक्षण अधिकारी	199	0.63
योग		870	19.50

* मुख्य शीर्ष 2202 से संबंधित ₹ 4.03 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक दिनांक 29.02.2000 को आग दुर्घटना में नष्ट हो गये जिसके विवरण उपलब्ध नहीं है।

** मुख्य शीर्ष 2070 (राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी) से संबंधित ₹ 7.59 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक के विवरण एवं गबन मामले में, अन्वेषण अभिकरण द्वारा अभिलेख जब्त कर लिये जाने के कारण, उपलब्ध नहीं है।